राजस्थान सरकार

श्री शिवचरण माथुर

मुख्य मंत्री

का

बजट भाषण

1988-89

मंगलवार, 8 मार्च, 1988

श्रीमन्,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. मैं अपना भाषण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कुछ अंश उद्धृत करते हुए प्रारंभ करना चाहूंगा। कौटिल्य ने राजा का वर्णन करते हुए कहा है, "प्रजा के सुख में ही उसका सुख है, उसके कल्याण में ही उसका कल्याण है; जिससे उसे प्रसन्नता हो उसे वह अच्छा नहीं समझेगा परन्तु जिससे उसकी प्रजा प्रसन्न हो, उसी को अच्छा मानेगा।" इस बजट के निर्माण में मेरा यह निष्ठापूर्ण प्रयास रहा है कि इन महान आदर्शों का यथासम्भव समावेश किया जावे। परम्परागत तौर पर बजट आय-व्ययक का लेखा-जोखा होता है परन्तु मेरी मान्यता यह है कि बजट राज्य सरकार के दर्शन, लक्ष्य और उद्देश्यों, जो कि जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का ही प्रतीक है, को मूर्त रूप देने का माध्यम होना चाहिए। राज्य सरकार को विकास की गति को तीव्र करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास के लाभ इस प्रकार वितरित हों कि समाज के कमजोर और गरीब वर्ग को तथा अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने यह बजट बनाने की चेष्टा की है। लेकिन इस प्रक्रिया में लगातार चौथे वर्ष पड़ने वाला अभूतपूर्व अकाल अंकुश के रूप में सामने आया है। जिसके कारण राज्य सरकार को अकाल पीड़ित लाखों लोगों को राहत पहुंचाने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना पड़ा है। इस प्राकृतिक विपदा के कारण राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार के होते हुए भी राज्य सरकार ने विकास के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।

3. मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार राज्य की अकाल पीड़ित जनता को हर संभव राहत देने तथा उनके कष्टों के निवारण हेतु किसी भी प्रकार की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी।

आर्थिक समीक्षा

4. माननीय सदस्यों को आर्थिक समीक्षा पृथक् से वितरित की जा रही है जिसमें वर्ष 1987-88 में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पिछले 4 वर्षों के लगातार अकाल के कारण राज्य की पूरी अर्थ व्यवस्था चरमरा गई है। वर्षा के अभाव में खरीफ की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। खरीफ और रबी की फसलों के उत्पादन में पिछले कई वर्षों के उत्पादन और इस वर्ष के लक्ष्यों के मुकाबले बहुत कमी होने की सम्भावना है। वर्ष 1986-87 के 67.23 लाख टन खाद्यान्न, 12.91 लाख टन गन्ना, 6.99 लाख कपास की गांठों के विरुद्ध वर्ष 1987-88 में क्रमशः 40.68 लाख टन खाद्यान्न, 10 लाख टन गन्ना, 2.37 लाख कपास की गांठों के उत्पादन होने की संभावना है लेकिन आयल सीड्स में 8.82 लाख टन के मुकाबले 11.72 लाख टन पैदावार होने की आशा है।

5. औद्योगिक उत्पादन में मिश्रित रुख रहा है। राज्य में उत्पादित होने वाली 27 मुख्य वस्तुओं में से पिछले वर्ष के मुकाबले जहां 16 वस्तुओं में उत्पादन बढ़ा है, वहीं 11 में कम हुआ है। उत्पादन में गिरावट मुख्यतः कच्चे माल की कमी और बिजली की कमी के कारण हुई है। चीनी, पानी के मीटर, रेडियेटर्स, कृत्रिम धागा, कैल्शियम कार्बाइड, पी.वी.सी. रेसिन, टी. वी. सैटों एवं सूती धागे के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

6. कीमतें बढ़ने का क्रम वर्ष 1987 से जारी रहा है। थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 1986 के मुकाबले में 11.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जयपुर और अजमेर केन्द्रों में रिकार्ड किये जाते हैं, अजमेर केन्द्र पर 11.28 प्रतिशत की एवं जयपुर केन्द्र पर 10.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 8.77 प्रतिशत हुई है। यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है।

7. प्रचलित कीमतों पर राज्य का घरेलू उत्पादन वर्ष 1985-86 के मुकाबले वर्ष 1986-87 में 8165.01 करोड़ रुपये से बढ़कर 8555.70 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि 4.78 प्रतिशत है। जबकि 1970-71 के आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर वर्ष 1985-86 के मुकाबले वर्ष 1986-87 में 2527.75 करोड़ से बढ़कर 2571.15 करोड़ रुपये होने के कारण 1.72 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। इसके विपरीत प्रति व्यक्ति आय का एक भिन्न चित्र उभरता है। प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों पर 2.08 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई। यह आय 2106 रुपये से बढ़कर 2150 रुपये हो गई है। स्थिर कीमतों पर 0.92 प्रतिशत की कमी अंकित की गई है। प्रति व्यक्ति आय 652 रुपये से घटकर 646 रुपये अंकित की गई है।

8. विद्युत् आर्थिक विकास का मूल आधार है। इसी कारण से वार्षिक योजना का एक बहुत बड़ा भाग इस मद में व्यय किया जाता है।

9. पर्याप्त वर्षा के अभाव में मुख्य पन विद्युत् गृहों के जल संग्रह में पानी की कमी के कारण वर्ष 1987-88 में केवल 7347 मि. यू. विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धि होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष इसके मुकाबले उपलब्धि 7690 मि. यू. रही। कृषि उपभोक्ताओं को 8-8 घन्टे के ब्लाकों में बिजली उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के फलस्वरूप औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भारी कटौती करनी पड़ी

है। राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि दूसरे स्रोतों से कुछ अतिरिक्त बिजली प्राप्त की जावे। मैंने अपने स्तर पर भी प्रयत्न किये हैं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमें इसमें सफलता मिली है और इन दिनों बिजली की अलग-अलग स्रोतों से उपलब्धि में सुधार हुआ है। मार्च 1987 तक राज्य के 22,577 गावों को विद्युतीकृत किया जा चुका था जो राज्य के कुल गांवों का 63.08 प्रतिशत है तथा राज्य में ऊर्जीकृत कुओं की संख्या 2,92,804 थी। वर्ष 1987-88 में 1,000 गांवों के विद्युतीकरण तथा 10,000 कुओं के ऊर्जीकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है। राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 2,000 अतिरिक्त कुओं को चारा उगाने हेतु अधिक ऊर्जीकृत किया जाय।

10. लघुपन बिजली योजनाओं में से अनूपगढ़ की योजना जिसके दो पावर हाउस हैं तथा जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 4.5 मेगावाट है इस वर्ष कमीशन हो जायेगी। इसमें से अभी तक दोनों पावर हाउस की दो-दो इकाइयां प्रत्येक 1.5 मेगावाट की कमीशन हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सिंगरोली तापीय परियोजना की दूसरी 500 मेगावाट मशीन कमीशन होने से राजस्थान को 88.24 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जायेगी। अभी यह मशीन ट्रायल बेसिस पर चल रही है। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान की उत्पादन क्षमता 1885.04 मेगावाट से बढ़ कर 1982.28 मेगावाट हो जायेगी।

11. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा अन्ता में गैस पर आधारित 430 मेगावाट की परियोजना पर कार्य चल रहा है। इस वर्ष बीकानेर में लिग्नाइट से विद्युत् ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत पलाना विद्युत् परियोजना का कार्य भारत सरकार के उपरोक्त उपक्रम द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में दो इकाइयां प्रत्येक 120 मेगावाट स्थापित करने की योजना है।

12. बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में राजस्थान निरन्तर अग्रणी रहा है। वर्ष 1987-88 में जनवरी, 1988 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, लघु उद्योग इकाइयों का पंजीकरण, समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल सुविधा, आई.सी.डी.एस. ब्लाक्स, आंगनवाड़ी, अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता, आवासीय भूखण्डों का आवंटन, अल्प आय वर्ग को आवास, गन्दी बस्ती सुधार तथा उचित मूल्य की दुकानों के कार्यक्रमों में वार्षिक लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास, अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता, कमजोर वर्गों को आवास, गांवों का विद्युतीकरण, पम्प सेटों का ऊर्जाकरण तथा बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में माह जनवरी, 1988 तक के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। आशा की जाती है कि इस वर्ष भी राज्य बीस सूत्री कार्यक्रम के सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होगा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अग्रणी रहेगा।

13. शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष में 3 नये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये एवं 4 महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 6575 प्राथमिक विद्यालयों (20 प्रतिशत) के लिये केन्द्रीय सहायता के माध्यम से न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिये भारत सरकार से 636 लाख रुपये प्राप्त हुये हैं एवं 46 पंचायत समितियों में 5612 प्राथमिक विद्यालयों को यह सुविधा और दिलाने के लिये प्रयास जारी हैं। राज्य में सीमान्त क्षेत्र के 4 जिले श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर की 13 पंचायत समितियों के लिये 602.41 लाख रुपये की राशि

उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य एवं अन्य न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने स्वीकृत की है। 3800 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को भारत सरकार की नई योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्टों में बदला जा रहा है। इस समय राज्य में 10459 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 3.62 लाख बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। भारत में केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसमें शिक्षा कर्मी बोर्ड का गठन किया गया है और यह योजना 3 पंचायत समितियों में चल रही है। नवोदय विद्यालयों की संख्या अब 14 हो गई है। 51 हायर सैकेण्डरी स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 59 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

14. राज्य में पेयजल की भीषण समस्या है। राजस्थान की भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विसंगतियां बहुत बड़ी चुनौती हैं। राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र है। भूमिगत जल साधारणतः अधिक गहरा, खारी व फ्लोराइडयुक्त है। राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से अधिक होते हुए भी भू सतही जल एक प्रतिशत से भी कम है। लगातार अकाल एवं सूखे के कारण पेयजल संकट सर्वत्र व्याप्त है। मार्च, 1987 तक 34,968 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 26,301 ग्रामों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जा चुका था। वर्ष 1987-88 में 2,200 ग्रामों के लक्ष्य में से जनवरी, 1988 तक 2,042 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवश्यकतानुसार नलकूप, हैण्डपम्प खोदे जा रहे हैं एवं अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। दिसम्बर, 1987 तक इस वर्ष 359 नलकूप, 9213 हैण्डपम्प लगाये गये हैं एवं डूंगरपुर, जालौर व झुन्झुनूं जिलों के सभी ग्रामों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जा चुका है। टेक्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत इस वर्ष चूरू एवं नागौर जिलों का भारत सरकार द्वारा चयन किया गया है जिसके लिये चालू वर्ष में 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। अजमेर एवं अन्य शहरों को पानी सप्लाई करने की बीसलपुर योजना एवं इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर को पानी सप्लाई कराने की योजना पर भी कार्य प्रगति पर है। उदयपुर शहर को बड़ी से पानी उपलब्ध कराने की योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध इस वर्ष पेयजल की समस्या से निपटने के लिये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 65.32 करोड़ रुपये व 105.25 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

15. पानी हमारे लिये सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन है। पिछले वर्ष इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर पूरी हो गई थी और अब उसमें पानी बह रहा है। वर्ष 1987-88 में इस नहर से 30,500 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्यक्रम हाथ में है। इस वर्ष में द्वितीय चरण के निर्माण के साथ-साथ खालों के निर्माण एवं सिंचित क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में वन विस्तार, सड़कों का निर्माण एवं डिग्गियों का निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया है जिन पर 22 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिससे नहर के निर्माण का पूरा लाभ उन क्षेत्रों को प्राप्त हो सकेगा। जाखम और बीसलपुर योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार 13 मध्यम सिंचाई परियोजनायें एवं 74 लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी., डी.पी.ए.पी. एवं डी.डी.पी. के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजाओं पर कार्य किया जा रहा है।

16. माननीय सदस्य जानते हैं कि इस वर्ष अकाल की विभीषिका पिछले वर्ष से बहुत तीव्र और व्यापक रही है। राजस्थान की जनता को लगातार चौथे वर्ष सूखे से जूझना पड़ रहा है। शताब्दी काल को स्मृति में ऐसा भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा है। इस समस्या से निपटने के लिये बड़े ही विशाल पैमाने पर राहत कार्य

खोले गये हैं। अपर्याप्त वर्षा के कारण राज्य के सभी 27 जिलों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साधारणतया राहत कार्य नवम्बर एवं दिसम्बर से खोले जाते हैं परन्तु इस वर्ष मुख्यतः राहत कार्य जुलाई के प्रारम्भ में ही शुरू कर दिये गये थे। अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने, पशु धन के संरक्षण, पेयजल व्यवस्था एव चिकित्सा सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य हेतु वर्ष 1987-88 में आयोजना व आयोजना भिन्न मदों में 432.58 करोड़ रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त चारा परिवहन के लिये लगभग 27 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्राप्त होने का अनुमान है। इस व्यय सीमा को आवश्यकता से कम समझते हुए, राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर सीमित साधनों के बावजूद भी संशोधित अनुमानों में आयोजना एवं आयोजना भिन्न मदों में 581.06 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मेरी सरकार ने अकाल राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

17. आयोजना भिन्न मदों में व्यय सीमा निर्धारित करने के पश्चात् भी भारत सरकार ने पुनर्भरण की राशि को 16.75 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी तक सीमित रखने का निर्णय किया। मैंने इस विषय को भारत सरकार के साथ उठाया और व्यक्तिगत रूप से भी केन्द्र के नेताओं से बातचीत की। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि भारत सरकार ने हमारे दृष्टिकोण को समझा है और हमारा अनुरोध स्वीकार कर, कुछ सीमाओं के अन्तर्गत, आयोजना भिन्न व्यय का पुनर्भरण करना स्वीकार कर लिया है। इससे वर्ष 1987-88 में लगभग 51 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इससे हमें काफी राहत मिलेगी।

18. नवम्बर, 1987-मार्च, 1988 तक के लिये भारत सरकार ने रोजगार सृजन के मद में केवल 137 करोड़ रुपये की व्यय-सीमा निर्धारित की है। इसे बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार से बातचीत चल रही है। मैंने स्वयं प्रधान मंत्री जी से एवं केन्द्रीय कृषि मंत्री से बातचीत की है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित निर्णय लेगी। हमें इसके तहत 58 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होने की उम्मीद है।

19. सूखा एवं अकाल की स्थिति होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में भू-राजस्व एवं तकावी की वसूली असिंचित क्षेत्रों में प्रभावित काश्तकारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से स्थगित करदी गई है। अकाल के कारण राज्य सरकार पर न केवल व्यय भार ही पड़ा है अपितु भू-राजस्व, सिंचाई, वानिकी आदि मदों में होने वाली आय में भी कमी आई है।

20. पशुओं को चारा उपलब्ध कराने हेतु 8 करोड़ रुपये से अधिक राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से पंचायत, पंचायत समितियों व स्वयं सेवी संस्थाओं को ऋण के रूप में स्वीकृत किये हैं जिससे वे चारा खरीद कर पशुपालकों को अपने क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकें।

21. मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं जिसने अकाल की इस भंयकरतम त्रासदी से निपटने के लिये अपनी पूरी शक्ति लगादी है और जिस साहस और धैर्य की मिसाल उन्होंने कायम की है, वह सदा इतिहास में याद की जावेगी।

22. केन्द्रीय चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने व बोनस के भुगतान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी वेतनमानों में संशोधन व बोनस भुगतान की मांग रखी। राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान नियम फरवरी, 1987 में जारी किए गये।

संशोधित नियमों के अनुसार पूरा भुगतान वर्ष 1986-87 में न होने कारण बकाया भुगतान का भार भी इसी वर्ष उठाना पड़ा। केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर महंगाई भत्ता देने के कारण भी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

23. राज्य की वित्तीय स्थिति पर बढ़ते हुए भार को देखकर राज्य सरकार ने प्रशासन में मितव्ययता व खर्च पर अंकुश लगाने के लिये कई कदम उठाये हैं जिनमें निम्न मुख्य हैं:–

(1) आयोजना भिन्न खर्च में 3 प्रतिशत की कटौती।

(2) आयोजना व आयोजना भिन्न खर्चों पर निम्नांकित रोक लगाना :–

अ. पदों के सृजन व नियुक्तियों पर रोक।

ब. फर्नीचर के क्रय पर रोक।

स. राजकीय सत्कार, विदेश यात्रा, मोटर गाड़ियों की खरीद पर रोक।

द. प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार, कान्फ्रेन्स व वर्कशाप के आयोजन पर रोक।

य. पुस्तकों व पत्रिकाओं के प्रकाशन, सजावटी विज्ञापन आदि पर रोक।

(3) आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत समस्त खरीद पर रोक।

(4) आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत जो योजनाएं शुरू नहीं हुई हैं, उनको स्थगित करना।

(5) राज्य सरकार के समस्त व्यय, विशेष रूप से गैर आयोजना व्यय, के पुनरीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर उसकी सिफारिशों को लागू करना।

(6) योजना के आरक्षित क्षेत्र को बिना प्रभावित किये, योजना व्यय को इस प्रकार से पुनर्निर्धारित करना जिससे यथा सम्भव अकाल राहत कार्यों के लिये सामग्री भाग की व्यवस्था हो सके।

24. अकाल राहत योजना व्यय एवं अन्य योजना के अतिरिक्त व्यय को शामिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष की योजना जो 672.37 करोड़ रु. की स्वीकृत की गई थी, वह 1121.68 करोड़ रुपये की हो जायेगी।

25. वर्ष 1988–89 की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिये योजना आयोग द्वारा आंकलित राज्य के संसाधनों में बहुत कमी हो गई जिससे योजना आकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अपरिहार्य था। राजस्थान की जनता यह कभी नहीं चाहेगी कि योजना आकार में किसी भी प्रकार की कमी करके हम विकास की गति को मन्द करें। योजना आयोग से हुई बातचीत में मैंने योजना आकार में वृद्धि का अनुरोध किया। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि योजना आयोग ने हमारी बात को मानकर वार्षिक योजना का आकार 710 करोड़ रुपये निर्धारित किया है, जो चालू वर्ष की मूल योजना से 10 प्रतिशत से अधिक है।

26. राज्य की 1988-89 की वार्षिक योजना का आकार 710 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है:––

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	कृषि और सम्बद्ध सेवायें	4944.00	6.96
2.	ग्रामीण विकास	3470.00	4.89
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	75.00	0.10
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	15240.00	21.46
5.	विद्युत्	20871.00	29.40

1	2	3	4
6.	उद्योग और खनिज	3522.00	4.96
7.	परिवहन	3075.00	4.33
8.	प्रौद्योगिकी और अनुसंधान	76.00	0.10
9.	सामाजिक और सामुदायिक सेवायें	18138.00	25.55
10.	आर्थिक सेवायें	355.00	0.50
11.	सामान्य सेवायें	415.00	0.59
12.	वित्त आयोग के अनुसार प्रशासन स्तर में सुधार	769.00	1.08
13.	प्रशासनिक सुधार	25.00	0.04
14.	निबद्ध (जिला योजनायें)	25.00	0.04
	योग	71000.00	100.00

27. सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई प्राथमिकताओं के अनुरूप ही वार्षिक योजना में विद्युत्, सिचाई और बाढ़ नियन्त्रण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कुल प्रावधान का क्रमशः 29.40 प्रतिशत और 21.46 प्रतिशत इन मदों में प्रस्तावित है।

28. योजना आकार में सीमावर्ती एवं सामरिक महत्व की सड़कों पर होने वाला व्यय 7.31 करोड़ रुपये, राज्य कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम में सम्भावित अधिक व्यय 4 करोड़ रुपए, सामान्य प्रशासन भवनों पर अधिक व्यय 0.29 करोड़ रुपये तथा आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूंजीगत कार्यों के लिए 2.39 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिक व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता हेतु 133.98 करोड़ रु. की व्यय सीमा स्वीकृत की है तथा अग्रिम योजना सहायता के सिचाई मद के 5.50 करोड़ रु. की बची हुई राशि को भी 1988-89 में व्यय करना प्रस्तावित है। इन सभी को सम्मिलित करने के पश्चात् कुल योजना का आकार 863.47 करोड़ रुपये हो जायेगा।

29. उक्त योजना व्यय के वित्त पोषण हेतु 442.30 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता (अग्रिम आयोजना सहायता सहित) उपलब्ध होगी। 126.67 करोड़ रुपये बजट से बाहर के साधन से उपलब्ध होंगे। शेष 294.50 करोड़ रुपये मुख्यतः राज्य के संसाधनों से उपलब्ध कराने होंगे।

30. मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने का जो 1000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके विरुद्ध आपके सहयोग से एवं राज्य की जनता के त्याग से योजना काल के प्रथम 3 वर्षों में किये गये उपायों के फलस्वरूप न केवल पूरा प्राप्त कर लिया जावेगा अपितु बढ़कर 1043 करोड़ रु. हो जाएगा।

मुख्य उपलब्धियां एवं भावी कार्यक्रम :

31. वर्ष 1987-88 में कुछ क्षेत्रों की उपलब्धियों के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। अब अन्य क्षेत्रों की कुछ उपलब्धियों एवं वर्ष 1988-89 के कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगा।

विद्युत् :

32. राज्य की 1988-89 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में 208.71 करोड़ रु. का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि कुल योजना का 29.40 प्रतिशत है। बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष के प्रावधान का 58 प्रतिशत उत्पादन योजनाओं में लगाने का प्रस्ताव है। इनमें मुख्यतया कोटा तापीय परियोजना द्वितीय चरण, माही हाइडल प्रोजेक्ट पावर हाउस द्वितीय व लघु पन बिजली योजनायें हैं। कोटा तापीय परियोजना

द्वितीय चरण की 210 मेगावाट की पहली इकाई जिसका दिसम्बर, 1988 में प्रारम्भ करने का लक्ष्य है, उसे सितम्बर, 1988 में चालू किये जाने का प्रयास किया जायेगा। इसकी दूसरी इकाई उसके 9 माह पश्चात् चालू होने की आशा है। माही परियोजना की 45 मेगावाट की पहली इकाई को दिसम्बर, 1988 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार की परियोजनाओं में रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन से 100 मेगावाट बिजली मिलने की सम्भावना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से वर्ष 1988-89 में राजस्थान की उत्पादन क्षमता 1982.28 मेगावाट से बढ़कर 2337.28 मेगावाट हो जाने की सम्भावना है। अगले वर्ष में 8,100 मि. यू. बिजली उपलब्ध होने का अनुमान है। अन्ता में गैस पर आधारित निर्माणाधीन 430 मेगावाट के बिजलीघर में राजस्थान का भाग निर्धारित होने पर उत्पादन क्षमता एवं बिजली उपलब्धि में और वृद्धि हो जायेगी।

33. वर्ष 1988-89 में दो तापीय परियोजनाओं-कोटा तापीय तृतीय चरण (210 मेगावाट) व सूरतगढ़ तापीय परियोजना (2×210 मेगावाट) के लिये 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इन दोनों योजनाओं के केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण से अनुमोदन होने की आशा है। सूरतगढ़, मांगरोल, चारणवाला, पूगल एवं माही की लघुपन बिजली सिंचाई योजनाओं पर भी कार्य चल रहा है जिनकी वर्ष 1989–90 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

34. पूर्ण होने वाली नई उत्पादन योजनाओं से बिजली का विस्तार करने के लिये व सब ट्रान्समिशन/डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार करने के लिये 61 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 24 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। अगले वर्ष 1,300 गांव व 15,000 कृषि के कुओं के विद्युतीकरण

का लक्ष्य है। 1,000 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण एवं हरिजनों के 1,500 कृषि कुओं तथा 100 औद्योगिक कनेक्शनों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

35. राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये ऋण के कुछ भाग को अंशदान (इक्विटी) में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये वर्ष 1988–89 में सदन के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया जावेगा।

36. यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने "कुटीर ज्योति" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत 5 लाख परिवारों को एक प्वाइन्ट का कनेक्शन देने के लिये अन्दरूनी तार और सर्विस कनेक्शन लगाने पर आने वाली लागत का भार वहन करने का प्रस्ताव है। हमारा यह प्रयास होगा कि राजस्थान में रहने वाले अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से लाभ मिल सके।

सौर ऊर्जा

37. वर्ष 1988–89 में सौर ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये 90 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 70-75 गांवों में 800 सौर ऊर्जा से चलने वाली नई लाइटें लगाई जायेंगी। 6500 सोलर कुकर शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। करीब 45,000 लीटर क्षमता के सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी गर्म करने के 100 सिस्टम लगाये जाने का लक्ष्य है।

38. आई. आर. ई. पी. के तहत ऊर्जा के सभी कार्यक्रमों के लिये तीन और पंचायत समितियों के चयन करने का लक्ष्य है। मरुक्षेत्र में पानी निकालने के लिए गहरे एस. पी. वी. पम्प लगाये जाना प्रस्तावित हैं।

39. सरकार ने जोधपुर क्षेत्र में 30 मेगावाट क्षमता का सोलर थर्मल प्लान्ट लगाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा हुआ है जिस पर स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जावेगा।

सिंचाई

40. वर्ष 1988-89 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मद के अन्तर्गत 152.40 करोड़ रु. का योजना व्यय प्रस्तावित है। इसमें से 61 करोड़ रु. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर (खालों के निर्माण एवं सी. ए. डी. कार्य सहित) व 21 करोड़ रु. माही बजाज सागर परियोजना पर व्यय होंगे। भारत सरकार के बोर्डर डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत 15 करोड़ रु. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए और प्राप्त होने की आशा है तथा 11 करोड़ रु. का प्रावधान अकाल राहत मद से कराये जाने का प्रस्ताव है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में खालों के निर्माण के प्रोग्राम को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत लेने के लिए भारत सरकार ने सहमति प्रदान की है और आशा है कि अगले वर्ष इस कार्य हेतु मैंचिग ग्रान्ट के 22 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त होंगे। इस प्रकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर वर्ष 1988-89 में 109 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस सब राशि से वर्ष 1988-89 में द्वितीय चरण की वितरक प्रणाली 299 किलोमीटर लम्बाई में पक्की किये जाने का लक्ष्य है। साथ ही 30,000 हैक्टेयर अतिरिक्त सिचाई क्षमता उपलब्ध हो सकेगी। 1,20,000 हैक्टेयर में पक्के खालों का सर्वे और प्लानिंग तथा 70,000 हैक्टेयर में खालों के निर्माण का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

41. इसके अतिरिक्त बहुद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं एवं वृहद् परियोजनाओं पर सिंचाई मद में 13.68 करोड़ रुपये, मध्यम सिंचाई योजनाओं पर 19.74 करोड़ रुपये एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं पर 13.01 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

42. वर्ष 1988-89 में लगभग 63432 हैक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार का लक्ष्य प्रस्तावित है इसमें से 30,000 हैक्टेयर इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में, 1,000 हैक्टेयर माही बजाज सागर क्षेत्र में 17,122 हैक्टेयर अन्य वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में व 15,310 हेक्टेयर अकाल राहत की राशि से चलाई गई परियोजनाओं के क्षेत्र में है।

43. इसके अतिरिक्त निम्न कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं:--

(1) भरतपुर जिले में पुरानी रियासत काल में बने हुए तालाबों एवं नहरों के रिनोवेशन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे कार्यों का समुचित सर्वे करवाकर एक मास्टर प्लान बनाने का कार्य इसी माह प्रारम्भ किया गया है।

भरतपुर जिले के बाढ रोकथाम मद में हरियाणा में बनी उजीना ड्रेन एवं उत्तर प्रदेश की गोवर्धन ड्रेन को जोड़ने वाली अन्तर्राज्यीय कामा पहाड़ी ड्रेन को सुचारु रूप से कार्यशील रखने हेतु भी सम्मिलित किया गया है।

यमुना के बाढ़ के अधिकाय (excess) पानी को भरतपुर जिले में उपयोग हेतु गुड़गांव नहर पर हो रहे कार्य को गति देना प्रस्तावित है।

उपरोक्त कार्यों हेतु वर्ष 1987-88 के 55 लाख रुपये के संशोधित अनुमानों के विरुद्ध वर्ष 1988-89 में 231 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(2) गंगनहर की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिये जो लिंक नहर का कार्य किया जा रहा है उसे गति प्रदान करना प्रस्तावित है और हमारा यह प्रयास होगा कि लिंक नहर वर्ष 1989-90

में पूरी करली जाये। वर्ष 1988-89 में इस नहर के हरियाणा प्रदेश में आने वाले भाग को प्राथमिकता के आधार पर कार्य आरम्भ करा कर पूरा कराये जाने का प्रयास किया जावेगा।

(3) घग्घर नदी के बाढ़ जल के उपयोग हेतु डिप्रेशनों को अनूपगढ़ शाखा में जोड़ना इसी वर्ष प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि

44. वित्तीय वर्ष 1988-89 में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमों पर जिसमें मैसिव कार्यक्रम एवं सहकारिता भी सम्मिलित है, 49.44 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1988-89 में 182.50 लाख हेक्टेयर में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलें बोने का कार्यक्रम है, जिसमें से 90.90 लाख हेक्टेयर में अनाज, 38.60 लाख हेक्टेयर में दलहन, 20.40 लाख हेक्टेयर में तिलहन तथा शेष में गन्ना, कपास, ग्वार, चारा इत्यादि फसलें ली जावेगी। इस क्षेत्र में करीब 82.40 लाख टन अनाज, 22.45 लाख टन दलहन, 13.97 लाख टन तिलहन, 7.40 लाख कपास की गांठें उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

45. उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 37.40 लाख हेक्टेयर में उन्नत किस्म के बीजों का वितरण, 2.90 लाख टन रासायनिक उर्वरक काम में लेने का प्रस्ताव है। 7500 हेक्टेयर में नये बगीचे विकसित करने का लक्ष्य है तथा 20 लाख फलदार पौधों का वितरण करने का प्रस्ताव है।

46. आवश्यकता पर आधारित 2,000 प्रदर्शन तथा 66,500 मिनी किट वितरित किये जायेंगे। मैसिव मिनी किट कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 2,24,500 दलहन, तिलहन व अनाज के मिनिकिट्स वितरित कराये जाने का प्रस्ताव है।

47. शुष्क खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत 1200 कैम्पों का आयोजन कर 60,000 कृषक प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत करीब 25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कृषि की विभिन्न उन्नत विधियां अपनाई जायेगी।

सहकारिता

48. राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण सहकारिता के अन्तंगत आने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1988-89 में 11.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि के उत्पादन हेतु कृषकों को सहकारी वर्ष 1988-89 में 125 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 8 करोड़ रुपये के मध्यकालीन तथा 30 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जाने की योजना है।

49. किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य मिले इसलिये सहकारिता के क्षेत्र में जिन बड़े उद्योगों को लगाना पूर्व में प्रस्तावित किया गया था उनकी स्थापना के लिये यथोचित प्रावधान (6.88 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है। इसमें सोयाबीन प्रोजेक्ट कोटा और कोटन कम्पलेक्स प्रोजेक्ट श्री गंगानगर परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। तेल मिल, सोलवेन्ट एक्स्ट्रेक्शन प्लान्ट एवं तेल शोधक कारखाना बीकानेर में तथा सरसों पर आधारित 6 तेल मिलें क्रमश: जालौर, श्रीगंगानगर की दो, झुंझुनू, मेड़ता सिटी तथा गंगापुरसिटी भी इनमें सम्मिलित हैं। कोटा में लगने वाले 200 टन सोयाबीन से तेल निकालने के कारखाने का कार्य अगले वर्ष प्रारम्भ हो जायेगा जिससे लगभग 50,000 काश्तकारों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

50. पिछले कुछ वर्षों से राज्य में गोदामों के निर्माण का एक सघन अभियान चलाया हुआ है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिसम्बर, 1987 तक 4,27,200 मैट्रिक टन क्षमता के 4306

गोदामों का निर्माण कराया जा चुका है। 55,550 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण पर कार्य चल रहा है एवं अगले वर्ष के अन्त तक कुल क्षमता 4,86,250 मैट्रिक टन होने का लक्ष्य है।

51. राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 65 ए के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ब्याज की राशि मूलधन से अधिक वसूल नहीं की जा सकती राज्य सरकार की ओर से आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समितियों को एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इस प्रावधान को लागू करने के लिये अनुदान दिये जाने का विचार है।

52. कृषि ऋण की लागत को कम करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरों में कटौती की है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इससे लाखों ऋण प्राप्तकर्ता किसानों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें चिर-प्रतीक्षित राहत प्राप्त होगी।

53. हम केन्द्रीय वित्त मंत्री की "राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत कोष" की स्थापना की घोषणा का स्वागत करते हैं। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को, जो अधिकतर सूखे से प्रभावित रहते हैं सुनियोजित आधार पर राहत प्राप्त होने की आशा है।

54. मैं यह महसूस करता हूं कि सहकारी ऋण प्रणाली का अभी वांछित विकास होना शेष है। सहकारिता किसानों तक पहुंचने का सर्वोत्तम साधन है व ग्रामीण स्तर पर स्वावलम्बन का प्रतीक भी है। इसको नया जीवन प्रदान करने के लिए मैं आपके सुझावों का आह्वान करता हूं ताकि सहकारिता आन्दोलन के विकास को बढ़ावा देने के बारे में हम भारत सरकार को अपने सुझाव दे सकें।

ग्रामीण विकास

55. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने के उद्देश्य से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 से चलाया जा रहा है। मार्च, 1987 तक इसके अन्तर्गत 10 लाख 15 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। लाभान्वित परिवारों में 37.6 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति तथा 17.3 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जन जाति के थे। वर्ष 1987-88 में 1,40,000 नये परिवार तथा 60,000 पुराने परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य पर कार्य चल रहा है। ट्राइसम योजना में इस वर्ष 8399 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 6680 युवकों को प्रशिक्षण उपरान्त नौकरी या स्वरोजगार से लाभान्वित किया गया है।

56. वर्ष 1988-89 में 2 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है जिसमें 1.70 लाख नये परिवार होंगे। इसके लिए 34.40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि महिलाओं को समाज में उचित सम्मान प्राप्त हो और उनका आर्थिक दृष्टि से उत्थान हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 1988-89 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 1987-88 में केवल 15 प्रतिशत की उपलब्धि रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को अधिकाधिक लघु सिंचाई, उद्योग, व्यापार इकाई प्रदान कर लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। ट्राइसम योजना के अन्तर्गत 14160 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान कर नौकरी या स्वरोजगार प्रदान कराये जाने का लक्ष्य है। ट्राइसम की आधारभूत सुविधाओं को, विशेषरूप से विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

57. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत जनोपयोगी एवं उपादेय संसाधन एवं परिसम्पत्तियों का निर्माण कर रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तीव्र गति से लागू किया जा रहा है। वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 20.00 करोड़ (50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना) का प्रावधान प्रस्तावित है तथा 65 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है।

58. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के लिये 22.90 करोड़ रुपये प्रस्तावित है तथा इस विनियोग से 75 लाख मानव दिवस सृजित होने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये 5,000 सिंचाई के कुओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,000 स्कूल भवन निर्माण कराने का भी प्रयास किया जावेगा।

59. 29 फरवरी, 1988 को केन्द्रीय वित्त मंत्री ने संसद के समक्ष अपने बजट भाषण में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दस लाख कुए बनाये जाने की एक योजना पेश की है। हमारा यह पूर्ण प्रयास होगा कि राजस्थान में रहने वाले अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के छोटे और सीमान्त किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले।

60. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम एवं अन्य विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रम काफी लाभदायक हैं। यदि इन सभी कार्यक्रमों को मिला दिया जाये और इनका कुछ विस्तार और पुनर्गठन किया जाये, तो गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इन रोजगार कार्यक्रमों की बारीकी से समीक्षा करने का एवं भारत सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजे जाने का विचार है।

61. भारत सरकार ने गरीब परिवारों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों को अग्नि बीमा सुरक्षा, अधिक कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एवं न्यूनतम आमदनी वाले समूहों के लिये बीमा योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत समूह बीमा इत्यादि नई योजनाओं की घोषणा की है। हमारा यह प्रयास होगा कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर यथासम्भव ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

मरु विकास कार्यक्रम

62. 11 जिलों में चल रहे मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भू-संरक्षण, वानिकी, सिंचाई सुविधा, आदि योजनाओं के माध्यम से मरुस्थल के प्रसार को रोकना, क्षेत्र का आर्थिक विकास करना तथा रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना है। अगले वर्ष इस कार्यक्रम पर 36.95 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम

63. कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करके ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है जिससे रोजगार के साधन

उपलब्ध हो तथा ग्रामीणों की आय के स्तर में वृद्धि हो सके। इस समय यह कार्यक्रम 8 जिलों में चल रहा है। वर्ष 1988–89 के लिये 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं तथा इस विनियोजन से भू-संरक्षण, सिंचाई, वन विकास आदि क्षेत्रों को अधिक बढ़ावा दिया जा सकेगा।

64. अगले वित्त वर्ष में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिहीन कृषक गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकी कार्यक्रम में पंचायतों का अधिकाधिक सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा तथा निजी व्यक्तियों को भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

जलधारा योजना

65. भारत सरकार ने 'जल धारा' नामक एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है जिसके तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमान्तिक किसानों को सहायता मिल सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 50,000 कृषक परिवारों को पम्प सैट नाम मात्र के किराये/पट्टा प्रभारों पर सिंचाई के लिये दिये जायेंगे। हमारा यह प्रयास होगा कि हम इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

लघु एवं सीमान्त कृषक सहायतार्थ वृहद कार्यक्रम

66. यह कार्यक्रम कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना) सभी विकास खण्डों में लागू है। इसके अन्तर्गत लघु सिंचाई और भूमि सुधार कार्य तथा मिनीकिट वितरण सम्मिलित है। इस वर्ष दिसम्बर, 1987 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,33,676 कृषक लाभान्वित हो चुके हैं। वर्ष 1988-89 के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.65 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है जिसके लिये 6 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

67. स्प्रिंकलर योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों को लघु सिंचाई के अन्तर्गत जल बचत संसाधनों के उपयोग हेतु 25 लाख रुपये का अनुदान देना 1988-89 में प्रस्तावित है। इस योजना से 1300 व्यक्ति लाभान्वित होने का लक्ष्य है।

68. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में वर्ष 1988-89 में 3,000 बायोगैस संयंत्र लगाये जाने का लक्ष्य है जिसके लिये राज्य योजना के अन्तर्गत 25 लाख रुपये तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 144 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

69. सेरीकल्चर एवं टसर विकास हेतु राज्य में कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एवं बून्दी जिलों की जलवायु तथा भूमि उपयुक्त पाई गई है। रेशम का उत्पादन होने से छोटे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। रेशम विकास हेतु 25 लाख रुपये तथा टसर विकास हेतु 15 लाख रुपये वर्ष 1988-89 के लिये प्रस्तावित हैं। इस विनियोजन से क्रमशः 70 हैक्टेयर तथा 60 हैक्टेयर में शहतूत तथा अर्जुन वृक्ष का पौधारोपण किया जावेगा।

कन्दरा सुधार योजना

70. केन्द्रीय सहायता से यह योजना राजस्थान के 5 जिलों कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भरतपुर तथा धौलपुर में कृषि तथा वन विभाग के माध्यम से चलाये जाने का कार्यक्रम है। भारत सरकार से 408.75 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अगले वर्ष भी चालू रहेगा।

जलोत्थान योजनायें

71. कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में बारहमासी नदी नालों में छोटी-छोटी

जलोत्थान योजनायें सम्पादित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है। छोटे-छोटे किसानों के समूह बनाकर मैसिव, जनजाति विकास, एकीकृत ग्रामीण आदि कार्यक्रमों से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1986-87 तक ऐसी 200 योजनायें क्रियान्वित हो चुकी हैं। चालू वर्ष में 81 योजनाओं के लक्ष्य पर कार्य हो रहा है। दिसम्बर, 1987 तक 57 योजनायें क्रियान्वित हो चुकी हैं। इन योजनाओं से छोटे किसानों को होने वाले लाभ को दृष्टि में रखते हुए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 125 योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राज्य योजना में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

72. छोटे-छोटे किसानों के समूह बना कर योजना बनाने में कुछ ऐसे किसानों को भी सम्मिलित करना पड़ता है जो लघु एवं सीमान्त कृषकों की श्रेणी में नहीं आते परन्तु उनके खेत सम्बन्धित जलोत्थान की श्रेणी में आते हैं। परन्तु अनुदान केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों तक ही केन्द्र प्रवर्तित योजना में सीमित है। अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि 4 हैक्टेयर तक के कृषि जोत वाले कृषकों को भी इस अनुदान सीमा में सम्मिलित कर लिया जावे और ऐसे कृषकों को 20 प्रतिशत का अनुदान राज्य योजना व्यय में से दिया जावे।

फुव्वहारों से सिंचाई

73. फुव्वहारों की सिंचाई से जल की काफी हद तक बचत होती है। भारत सरकार से पहले अनुदान सभी कृषकों को मिलता था, परन्तु अब उन्होंने इसे भी लघु एवं सीमान्त कृषकों तक ही सीमित कर दिया है। जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के समान ही स्प्रिकलर पद्धति से सिंचाई कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत भी 4 हैक्टेयर कृषि जोत तक के कृषकों को लाभान्वित करने का विचार है।

74. जलोत्थान एवं फुव्वहारों से सिंचाई योजनाओं के लिये बिजली के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जावेंगे।

75. एक विनम्र राजनैतिक कार्यकर्ता के नाते, मुझे इस बात का अहसास है कि यद्यपि हमने काफी प्रगति की है, फिर भी राजस्थान के वासियों की स्थिति सुधारने के लिये विशेष रूप से ग्रामीण जनता की स्थिति सुधारने के लिये अभी बहुत काम करना बाकी है। हम अपनी भरपूर शक्ति इस ओर लगाने का पक्का इरादा रखते हैं।

पंचायती राज

76. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिये इस वर्ष 1.50 लाख से अधिक अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। लगभग 8.90 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। केवल राहत कार्यों में ही नहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि योजनाओं की क्रियान्विति में भी इन संस्थाओं का काफी योगदान है। चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 परिवारों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 1987 तक 34,822 परिवारों को भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। कमजोर तबके के लोगों को गृह निर्माण हेतु सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 23,333 के लक्ष्यों के विरुद्ध दिसम्बर, 1987 माह तक 21,386 भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत 10,000 भवनों के निर्माण लक्ष्यों के विरुद्ध 8,999 भवन जनवरी, 1988 तक निर्मित कराए जा चुके हैं। बंजड़ भूमि में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों द्वारा 4,314 तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 3,887 हैक्टेयर भूमि में क्रमशः 33 लाख एवं 38 लाख पौधे लगाए गये हैं।

पौधशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों एवं अन्य सस्थाओं द्वारा लगभग 330 पौधशालाओं में लगभग 71 लाख पौधे तैयार किये गये हैं। निर्धूम चूल्हा योजना के अन्तर्गत 75,000 उन्नत चूल्हों का निर्माण के विरुद्ध दिसम्बर, 1987 तक 60,376 उन्नत चूल्हों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 50 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया गया है।

77. वर्ष 1988-89 के लिये निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 हजार भू-खण्ड आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण आवासीय भवन निर्माण अनुदान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 हजार भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इन्दिरा आवासीय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 हजार भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। एक लाख निर्धूम चूल्हे निर्माण करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि पंचायत राज संस्थाओं का राज्य की विभिन्न योजनाओं में विशेष तौर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग लिया जावे। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये तथा अधिक अधिकार दिये जाने के लिये एक और व्यापक योजना बनाने का प्रस्ताव है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण उत्तर-दायित्व देने में अग्रणी राज्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सके।

78. सन् 1959 में पंचायती राज की स्थापना कर राजस्थान ने पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण पिछले काफी समय से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जा सके हैं। पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के सरकार के दृढ़ संकल्प को मैं दोहराना चाहता हूं। इसी संकल्प के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जून-जुलाई, 1988 में कराया जाना प्रस्तावित है।

79. ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये वर्ष 1988-89 में उन्हें दी जाने वाली अनुदान राशि 2.25 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ा कर 2.75 रुपये प्रति व्यक्ति किया जाना प्रस्तावित है। जिला परिषदों को भी अतिरिक्त अनुदान देना प्रस्तावित है। इन प्रस्तावों के लिये वर्ष 1988-89 में 1.43 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे।

मेवात विकास

80. सदस्यों को मालूम ही है कि वर्ष 1987-88 में मेवात क्षेत्र के विकास के लिये एक मेवात विकास मण्डल का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिये अगले वर्ष आयोजना व्यय में 75 लाख रुपये प्रस्तावित है जिससे आशा की जाती है कि भरतपुर व अलवर जिले जो मेव बाहुल्य क्षेत्र हैं, इस योजना से विकास की ओर तेज गति से अग्रसर हो सकेंगे।

पशु पालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास

81. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशु पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 496 लाख से अधिक पशुधन तथा 22 लाख से अधिक कुक्कुट सम्पदा के विकास/संवर्धन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये राज्य सरकार कई सेवायें सुलभ कराकर पशुपालकों को लाभान्वित कर रही है। औषधालय के अलावा टीके उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य, चारा विकास योजना, शूकर पालन विकास योजना, कुक्कुट विकास कार्यक्रम, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, अश्व वंश विकास केन्द्र, पशु मेलों का आयोजन आदि कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है। इसके साथ राज्य सरकार उपलब्ध जल क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए जलाशयों का विकास, मत्स्य बीजों का संग्रहण एवं उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रम भी सम्पादित करती है। राज्य में एक करोड़ 34 लाख भेड़ें हैं जिनसे लगभग 154 लाख किलो ग्राम ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त

होती है। राज्य सरकार भेड़ पालन एवं संरक्षण, नस्ल-सुधार, भेड़ पालकों को प्रशिक्षण आदि का विशेष कार्यक्रम चलाती है।

82. श्वेत क्रान्ति लाने हेतु डेयरी विकास कार्यक्रम में सहकारिता के अन्तर्गत डेयरी संयंत्रों की संख्या 10 हो गई है तथा दुग्ध दोहन की क्षमता 9.20 लाख लीटर हो गई है। दिसम्बर, 1987 तक राज्य में कुल अवशीतन केन्द्रों की संख्या 24 हो गई है तथा प्रतिदिन दुग्ध अवशीतन क्षमता 4.10 लाख लीटर तक पहुंच गई है।

83. इस वर्ष राज्य में भीषण अकाल के कारण दुग्ध संकलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 70,000 मैट्रिक टन संतुलित पशु आहार के वितरण का लक्ष्य इस वर्ष प्राप्त कर लेने की सम्भावना है।

84. इन सभी कार्यक्रमों को त्वरित गति देने के लिये वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना में 6.99 करोड़ रुपये एवं डेयरी विकास हेतु 2.00 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

85. वर्ष 1988-89 में पशु पालन के क्षेत्र में निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:–

(1) 150 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करना व साथ ही पिछले वर्ष के निर्धारित 50 नये चिकित्सालय भी खोलना।

(2) चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारा बीज फार्म स्थापित करना।

(3) राज्य में मुख्य पशु नस्ल की उन्नति के लिये पशु विकास कार्यक्रम की 5 विशेष विकास योजनायें 5 जिलों में प्रारम्भ करना।

(4) प्रत्येक डिविजनल मुख्यालय पर भ्रमणशील शल्य पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना हेतु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 5 ऐसी इकाइयों की स्थापना। अभी केवल एक ही इकाई जोधपुर डिविजन में कार्यरत है।

(5) पशु गणना सम्पन्न करवाना।

(6) अजमेर में मुर्गी पालन के प्रशिक्षण हेतु संस्थान का खोला जाना।

(7) 2 नये सघन कुक्कुट विकास खण्डों की स्थापना तथा अजमेर एवं जयपुर की राज्य स्तरीय कुक्कुटशाला में अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध कराना।

(8) मत्स्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर एवं अलवर में चायनीज हैचरीज की स्थापना व मत्स्य फार्मों का नवीनीकरण करवाया जाना।

(9) भीमपुरा में मत्स्य बीज उत्पादन फार्म का कार्य प्रारम्भ करना।

(10) राज्य स्तर पर मत्स्य पालक वैलफेयर सोसाइटी का गठन करना।

भेड़ व ऊन कार्यक्रम–

(11) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 3 नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलना।

(12) 6 चल रोग अनुसंधान प्रयोगशालायें खोलना।

(13) 5 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना।

डेयरी विकास कार्यक्रम–

(14) 600 नई दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन तथा 60,000 नये सदस्य बनाने का लक्ष्य।

(15) कुल दुग्ध संकलन 2325 लाख लीटर किया जाना।

(16) कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 1,00,000 प्राप्त करना।

(17) 70,000 मैट्रिक टन संतुलित पशु आहार का वितरण करना।

वन–

86. पर्यावरण का संकुलन बनाये रखने के लिये कुल भू-भाग का 33 प्रतिशत भाग वन एवं वनस्पति से आच्छादित होना चाहिये। राज्य में 9 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और इसका एक तिहाई हिस्सा वनाच्छादित है। राज्य सरकार वनारोपण के काम को वांछित महत्व देती है और विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस वर्ष 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 12 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक 10.55 करोड़ वृक्ष लगाये जा चुके हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। वर्ष 1988-89 के लिये राज्य योजना अन्तर्गत 10.80 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 1987-88 के संशोधित अनुमानों के 9.15 करोड़ रुपये के मुकाबले 1.65 करोड़ रुपये अधिक है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष 13 करोड़ नये पौधे लगाने का लक्ष्य है।

87. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में इस वर्ष व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। नहर परियोजना के स्टेज–II के लिये 7.40 करोड़ रुपये का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है जिसके तहत नहरों के किनारे 8,000 पंक्ति किलोमीटर वृक्षारोपण तथा 500 हैक्टेयर क्षेत्र में ब्लाक वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्ष 1988-89 के लिये लगभग 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु तैयारी की जा रही है।

88. दस्युग्रस्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत 6,000 हैक्टेयर क्षेत्र में हवाई बीजारोपण कराया गया है तथा आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण करने हेतु 4,500 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम कार्य कराया जा रहा है।

89. जनता को पौधे आसानी से सुलभ कराने की दृष्टि से अभी तक राज्य में 2,666 पौधशालायें स्थापित करदी गई हैं जिनमें 1,392 पौधशालायें जन सहयोग से चलाई जा रही हैं। अगले वर्ष तक पौधशालाओं की संख्या बढ़ाकर 3,000 करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

90. विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 6,027 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कर आगामी वर्षा ऋतु में 7,230 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का अग्रिम कार्य प्रगति पर है।

91. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम में पंचायतों का अधिकाधिक सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

पेयजल

92. राज्य की वार्षिक योजना में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1988-89 में 1987-88 के 40 करोड़ रुपये के संशोधित प्रावधान के विरुद्ध 54 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रकार से जल प्रदाय मद के लिए 35 प्रतिशत धनराशि अधिक व्यय किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसमें से 27.30 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र जल प्रदाय योजना हेतु 26.70 करोड़ रुपये ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु रखे गये हैं।

93. राज्य सरकार का यह संकल्प है कि 1980 एवं 1985 के सर्वेक्षण में पाये गये सभी समस्याग्रस्त गांवों को मार्च, 1990 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध करादी जावे। इसके अन्तर्गत

अगले वर्ष 2,200 गांवों को यह सुविधा देने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

94. वर्ष 1988-89 में राज्य के 7 और जिलों जोधपुर, धौलपुर, बूंदी, सीकर, भीलवाड़ा, पाली और सवाईमाधोपुर के समस्त गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

95. इसके अतिरिक्त त्वरित जल प्रदाय योजना एवं प्रोद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत जो योजना बाड़मेर में चल रही है एवं जिसमें चूरू और नागौर का चयन हो गया है, के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने की अपेक्षा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 430 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण जल पूर्ति और स्वच्छता के लिए प्रस्तावित की है। हमारा यह प्रयास होगा कि इस प्रोग्राम के अन्तर्गत विस्तृत योजनायें बना कर अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त की जावे।

96. अकाल सहायता के अन्तर्गत अभी भारत सरकार ने 12.35 करोड़ रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की है। यद्यपि साधनों की अत्यन्त कमी है फिर भी राज्य सरकार का यह पूर्ण प्रयास रहेगा कि विभिन्न स्रोतों से साधनों को जुटाकर बीसलपुर की जल प्रदाय योजना, जोधपुर के लिये इन्दिरा गांधी नहर जल प्रदाय परियोजना की क्रियान्विति को गति प्रदान की जावे और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन्हें पूरा करने का हर सम्भव प्रयास किया जावे। उदयपुर शहर में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन हल हेतु मानसी वाकल के जल को उपयोग करने की योजना का प्रारूप तैयार कराया जाना प्रस्तावित है।

97. भरतपुर जिले के डीग कस्बे में पानी पीने योग्य उपलब्ध नहीं होने के कारण नन्द गांव नहर में यमुना का पानी ले जाना प्रस्तावित है। 95 लाख रुपये की इस योजना पर वर्ष 1988-89 से कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

98. जनता के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करना मानव संसाधनों के विकास का एक अत्यावश्यक अंग है। वर्ष 1988-89 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 30.38 करोड़ रुपये का व्यय करने का प्रावधान है। मुख्य-मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :—

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य सबके लिये उपलब्ध कराने के ध्येय की पूर्ति हेतु वर्ष 1988-89 में 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें से 50 नये एवं 250 ग्रामीण डिस्पेन्सरियों को क्रमोन्नत कर स्थापित किए जावेंगे। इसके अतिरिक्त 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल खोलना प्रस्तावित है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक्सरे मशीन, रोगी वाहन एवं ई.सी.जी. मशीन के लिए प्रावधान चरणों में किया जा रहा है। वर्ष 1988-89 में 30 एक्सरे मशीन, 40 रोगी वाहन एवं 86 ई.सी.जी. मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके साथ कुछ रेफरल अस्पतालों में 100 शैयायें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी रोगियों को और अधिक सुविधाएं दिलाने हेतु इस वर्ष 150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 25 हजार रुपये प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से उपचार एवं जांच के उपकरण दिलाये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार प्रत्येक ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर यह सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। वर्ष 1988–89 में 1,700 उप केन्द्र भी खोले जायेंगे।

(4) दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक चिकित्सा सुविधा हेतु वर्ष 1988–89 में 471 उप केन्द्रों को उच्चीकृत उपकेन्द्र (एड पोस्ट) करने का प्रस्ताव है। जिसमें एक कम्पाउन्डर तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देने तथा प्रत्येक उच्चीकृत केन्द्र पर 2,000 रुपये की दवाइयों का अतिरिक्त प्रावधान किया जावेगा।

(5) जिला अस्पतालों में भी रोगियों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनका विकास चरणों में किया जा रहा है। जिला स्तर के अस्पताल में पहली बार सोनोग्राफी तथा खून की जांच के लिए आटोएनेलाइजर जैसे आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराये जावेंगे। इसके अन्तर्गत वर्ष 1988–89 में 300 रोगी शैयाओं से अधिक वाले 2 अस्पतालों में सोनोग्राफी एवं समस्त "ए" श्रेणी के अस्पतालों में खून की जांच के लिए आधुनिक मशीन आटो एनेलाइजर उपलब्ध कराई जावेगी। इसके अतिरिक्त 17 "ए" एवं "बी" श्रेणी के अस्पतालों में स्टीम स्टेरे-लाइजर उपलब्ध करा कर इस श्रेणी के समस्त अस्पतालों में ऐसी सुविधा प्राप्त कराने का लक्ष्य है। समस्त जिला चिकित्सालयों की प्रयोगशालाओं में जांच के आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराये जावेंगे।

(6) अस्पतालों को निरन्तर बिजली मिलती रहे एवं आपरेशन आदि के दौरान कोई व्यवधान उपस्थित न हो, इस प्रयोजन से प्रत्येक जिला स्तर के अस्पतालों में एक जनरेटर उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) वर्ष 1988–89 में 2 टी. बी. क्लिनिक भी खोले जाने का प्रस्ताव है। टी. बी. की दवाईयों के खरीद के बजट में भी समुचित वृद्धि की जा रही है।

आयुर्वेद

(8) 200 नये "ब" श्रेणी के आयुर्वेद/होम्योपैथिक औषधालय खोले जायेंगे।

(9) वर्तमान "अ" श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कुछ शैय्याओं का बढ़ाना एवं उपकरणों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा

(10) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत रींगस (सीकर) तथा डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र में चिकित्सालय खोले जायेंगे।

(11) जोधपुर चिकित्सालय भवन का निर्माण अगस्त, 1988 तक पूरा होने की सम्भावना को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सालय को प्रारम्भ किया जायेगा।

शिक्षा

99. आप सभी सहमत होंगे कि हमारे मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इस समय विकसित की जाने वाली मानव शक्ति की गुणवत्ता भविष्य में आर्थिक और सामाजिक प्रगति की गति और दिशा निर्धारित करने में निर्णायक होगी। अतः प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के कार्यक्रम के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1988-89 में विशेष प्रयास किये जायेंगे और जो घोषित कार्यक्रम 1987-88 में पूरे नहीं हो सके हैं उन्हें भी यथासम्भव अगले वर्ष के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया गया है। राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में शिक्षा के मद में 73.16 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

100. वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:—

(1) राज्य के ऐसे सभी गावों में जिनकी जनसंख्या 250 या इससे अधिक है तथा रेगिस्तानी व पहाड़ी इलाके में 200

से अधिक है वहां प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे । इसके लिए 3,000 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है जिसमें से लगभग 1,500 विद्यालयों में, जो दूरस्थ स्थानों में होंगे तथा जहां प्रशिक्षित अध्यापकों के मिलने की अपेक्षा कम है, स्थानीय अंशकालीन अप्रशिक्षित मैट्रिक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को लगाया जायेगा ।

(2) 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा ।

(3) 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा ।

(4) आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों को केन्द्रीय सहायता के माध्यम से न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें एक अध्यापकीय विद्यालय को दो अध्यापकीय विद्यालयों में परिवर्तित करना तथा अध्ययन अध्यापन एवं अन्य न्यूनतम आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त उपरोक्त योजना में आने वाले प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो कमरों का भवन बनाना एन. आर. ई. पी. व आर.एल. ई. जी.पी. में प्रस्तावित है ।

(5) बाड़मेर, जैसलमेर जिले की बालिका साक्षरता 5 प्रतिशत से भी कम है जो न केवल राज्य में बल्कि पूरे भारत में सबसे कम है । इस साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने हेतु उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 50 प्रतिशत बालिकाओं को 5 रुपये प्रति माह की दर से उपस्थिति छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है ।

(6) सीमान्त क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य एवं अन्य न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से लगभग 6 करोड़ रुपये प्राप्त होने की अपेक्षा है ।

(7) भारत सरकार की नई योजना के अन्तर्गत लगभग 4,000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को नई योजना के अनुरूप प्रोजेक्ट में बदला जाना प्रस्तावित है ।

(8) शिक्षा कर्मी बोर्ड के गठन के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट के प्रतिशत को कम करने की जो योजना 3 पंचायत समितियों में चल रही है उसे अगले वर्ष 7 और पंचायत समितियों में लागू किया जायेगा ।

(9) विभिन्न भाषाओं के स्तर में सुधार के लिए राज्य भाषा संस्थान की स्थापना की जायेगी ।

(10) 9 जिलों में जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं बी. एड. महाविद्यालयों में से चार को कालेज आफ टीचर एज्यूकेशन एवं दो को इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडीज में परिवर्तन करने की योजना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये भारत सरकार से इसी वित्तीय वर्ष में मिलने की आशा है। अगले वर्ष में भी इतना ही कार्यक्रम हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव है ।

(11) अजमेर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को एम. एड. स्तर पर क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है ।

(12) गूंगे बहरे स्कूल के बच्चों के शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है ।

(13) 1990 तक प्रत्येक जिले में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नवोदय विद्यालय योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष 6

जिलों में श्री गंगानगर, पाली, जोधपुर, झालावाड़, टोंक तथा अलवर में भारत सरकार के सहयोग से यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ।

(14) 200 हायर सैकण्डरी स्कूलों को 10+2 पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है ।

(15) 125 हायर सैकण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ।

(16) भारत सरकार के सहयोग से 28 अतिरिक्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना है ।

(17) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई निजी संस्था के रूप में कन्या उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत है या होंगे तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अनुदान दिया जा सकेगा ।

(18) वर्ष 1988-89 में कोटा खुला विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय केन्द्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 की जायेगी। साथ ही 12 अध्ययन केन्द्र विभिन्न जिलों में खोले जायेंगे। 10+2 की परीक्षा पास नहीं करने वाले आशार्थियों को सीधे ही स्नातक की परीक्षा देने की सुविधा होगी।

(19) जोधपुर विश्वविद्यालय में एम. सी. ए. (मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन) पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

(20) अजमेर विश्वविद्यालय द्वारा चयनित महाविद्यालय में एम. फिल. के पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदत्त की जायेगी ।

(21) महाविद्यालयों में 10 नये विषय खोले जायेंगे।

(22) राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत छात्रों की संख्या 22,000 से 25,000 की जावेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र 15,000 निरक्षरों को साक्षर करने का कार्यक्रम हाथ में लेंगे ।

(23) महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान दिनांक 1-1-1986 से स्वीकृत किये जायेंगे।

तकनीकी शिक्षा

101. राजस्थान के उद्योगों के लिए तकनीकी जनशक्ति की मांग की पूर्ति हेतु वर्ष 1988-89 में निम्न कार्यक्रम हाथ में लिए जायेंगे :–

(1) टेक्सटायल उद्योग की उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा के वर्तमान श्री माणक्य लाल वर्मा, राजकीय टेक्सटायल संस्थान को स्नातक स्तर तक क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है ।

(2) 6 नये पोलिटेकनिक (4 लड़कों के लिए तथा 2 लड़कियों के लिए) प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(3) राजकीय पोलिटेकनिक भरतपुर में इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग [(15 सीटें) तथा खेतान पोलिटेकनिक जयपुर में इलेक्ट्रोनिक्स (टेलीकम्युनिकेशन) इंजीनियरिंग (15 सीटें)] में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करना प्रस्तावित है ।

(4) 10 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं (6 लड़कों के लिये तथा 4 लड़कियों के लिए) स्थापित करना प्रस्तावित है।

(5) जयपुर स्थित "खाद्य कला संस्थान" को भारत सरकार के सहयोग से डिप्लोमा स्तर के होटल मैनेजमेंट, केटरिंग तथा न्यूट्रिशन संस्था में क्रमोन्नत किया जायेगा ।

(6) जयपुर के मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में स्नातक स्तर के दो पाठ्यक्रम केमिकल तथा आरकीटेक्चर इंजीनियरिंग विषयों में चालू किये जायेंगे ।

खनिज

102. राजस्थान राज्य खनिज सम्पदा की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 1987-88 में 62 नये व पुराने पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट लिये गये हैं। स्टील प्लान्टों में स्टील उत्पादन करने में प्रयुक्त होने वाली एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन के महत्वपूर्ण भण्डार जैसलमेर जिले के ग्राम सानु में प्रचुर मात्रा में मिलना महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। जिला पाली में खनिज टंगस्टन जो कटिंग व रक्षा उत्पादन में काम आता है, का पाया जाना भी एक महत्वपूर्ण घटना है। बीकानेर जिले में बरसिंहसर में लिग्नाइट के 7 करोड़ टन के भण्डार 7 वर्ग कि.मी. में पाये गये हैं जिन पर आधारित थर्मल पावर प्लान्ट लगाया जायेगा। विभाग द्वारा खोजे गये सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भण्डारों पर राज्य में अगले 5 वर्षों में 5 बड़े और सीमेंट प्लान्ट लगने की सम्भावना है। गोटन में सफेद सीमेन्ट का कारखाना लगाया जा चुका है। साथ में 2 बड़े पोर्टलैंड सीमेंट के कारखाने एवं एक "आयल वेल" सीमेंट तथा "सल्फेट रजिस्टेन्ट" सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना स्थापित करने की योजना है जो भारत में अपनी तरह का एक मात्र कारखाना होगा।

103. वर्ष 1988-89 में राज्य में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड "झामर कोटड़ा समन्वित परियोजना" की क्रियान्विति प्रारम्भ कर रहा है। इसके अन्तर्गत 1500 टन प्रति दिन की क्षमता वाले औद्योगिक परिशोधन संयंत्र की स्थापना की जायेगी जिससे निम्न श्रेणी के रॉक फास्फेट को उच्च श्रेणी का रॉक फास्फेट के रूप में समृद्ध किया जायेगा इस पर लगभग 120 करोड़ रुपये का खर्च होगा और राज्य का अंशदान 30 करोड़ रुपये होगा। वर्ष 1988-89 में इसके लिये 8 करोड़ रुपये का अंशदान रखा गया है।

104. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा खनिज की बिक्री 1980-81 में 1.71 करोड़ रुपये थी, इस वर्ष 15 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है और आगामी वर्ष में 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

आवास एवं नगरीय विकास

105. राज्य में आवास की समस्या दिनों दिन जटिल होती जा रही है। विभिन्न योजनायें जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं योजना मद में पंचायत समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 65,000 आवासी भवनों के निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसी के साथ राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्रों में 15,000 मकान बनाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 80,000 मकान बनाये जाने का लक्ष्य है। इससे न केवल रोजगार प्राप्त होगा अपितु कुछ हद तक आवास की समस्या भी हल होगी।

106. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय आवासीय बैंक की योजनाओं का पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया जायेगा।

107. केन्द्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों के आवास निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने हेतु भूमि विकास बैंकों को भी अधिकृत करने का प्रस्ताव है जिसके लिये कानून में वांछित संशोधन किया जायेगा।

108. भारत सरकार ने 7 प्रतिशत ब्याज पर 700 रुपये तक मासिक आमदनी वाले छोटे और सीमान्तिक किसानों के लिये

आवास और शहरी विकास निगम द्वारा आवास के नये कार्यक्रम की घोषणा की है। मकानों में सुधार करने के लिये सहायता भी इसके अन्तर्गत दी जा सकती है। हमारा यह प्रयास होगा कि इस योजना का राजस्थान के छोटे और सीमान्तिक किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा घोषित "ग्रामीण आबादी पर्यावरण सुधार स्कीम" का भी पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया जायेगा। इसके अन्तर्गत ग्रामीण आबादी के आधारभूत ढांचे जैसे जल निकास, सफाई आदि में सुधार करने के लिये 5000 तक आबादी वाले गांवों में 2000 रुपये प्रति परिवार तक व्यय वाली परियोजनाओं के लिये सहायता दी जायेगी। इस हेतु विशेष योजना संगठन विभाग में एक प्रकोष्ठ बनाया जायेगा।

109. अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह तथा पुष्कर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर श्रद्धालु एवं पर्यटकों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। उक्त स्थलों के विकास की आवश्यकता है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि उक्त दोनों स्थानों के विकास हेतु आवश्यक कार्यक्रम हाथ में लिये जायें। इस हेतु 20 लाख रुपये का प्रावधान वर्ष 1988-89 में किया जाएगा।

110. अलवर दिल्ली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण की 3 करोड़ रुपये की योजना राष्ट्रीय राजधानी परियोजना बोर्ड से स्वीकृत कराई गई है जिसके निर्माण हेतु राज्य सरकार, नगर विकास न्यास, रेल विभाग एवं राष्ट्रीय राजधानी परियोजना बोर्ड द्वारा धन राशि उपलब्ध कराई जायेगी। वर्ष 1988-89 की राज्य योजना में 25 लाख रुपये का प्रावधान इस कार्य हेतु प्रस्तावित है।

स्थानीय निकाय

111. माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि नगरपालिकाओं को मिलने वाली अनुदान की राशि 5 रुपये प्रतिव्यक्ति से बढ़ाकर

10 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है जिसका वार्षिक भार 3.50 करोड़ रुपये के लगभग है।

112. 1971 व 1981 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 1653 कच्ची बस्तियां पाई गई थीं जिनमें 11.92 लाख लोग रहते थे। पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 6.92 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस कार्य हेतु 1988-89 में एक करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। यह कार्य स्थानीय निकायों के माध्यम से कराया जाता है। कच्ची बस्तियों में 1985 की मतगणना सूचियों के अनुसार पुन: सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

उद्योग

113. देश के विकास में एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की उद्योग नीति के फलस्वरूप 1,35,350 लघु एवं दस्तकार इकाइयां दिसम्बर 1987 तक पंजीकृत की जा चुकी हैं जिनमें 575 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ है तथा 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु एवं दस्तकारी इकाइयों को नाबार्ड की सहायता से बैंकों द्वारा ऋण, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन के लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 1987-88 में 1,65,000 व्यक्तियों को खादी कार्यक्रम एवं 2,66,000 व्यक्तियों को ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने एवं 600 बुनकरों को आधुनिक तकनीक के बारे में प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है। बृहद् उद्योगों में 40 इकाइयों को आशय पत्र प्राप्त हो चुके हैं जिनमें 108 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा और 7400 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

114. इस वर्ष दिसम्बर 1987 तक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम ने 17 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 23.95 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। निगम के प्रयासों से 16 नई औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम द्वारा 2350 इकाइयों को 54 करोड़ रुपये के सावधि ऋण दिसम्बर 1987 तक स्वीकृत किये गये हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2094 इकाइयों को 33 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किये गये थे। निगम के प्रयासों से 99 रुग्ण एवं बंद इकाइयों को पुनर्जीवित किया गया है।

115. वर्ष 1988-89 में वित्त निगम के लिये 90 करोड़ रुपये के ऋण 6700 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत करने एवं 75 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

116. हमारा ऐसा विश्वास है कि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के केन्द्रीय सरकार के निर्णय से प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास को काफी बल मिलेगा।

117. राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गैस पर आधारित खाद्य के कारखाने का मामला पिछले काफी समय से स्थान के चयन नहीं होने के कारण लम्बित है। मैंने अपने स्तर पर इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया है। मुझे सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष होता है कि सचिवों के एक उच्च स्तरीय दल का कल ही आने का कार्यक्रम है। पर्यावरण की दृष्टि से स्थान के चयन का अन्तिम निर्णय इसके पश्चात् सम्भव हो सकेगा।

118. औद्योगीकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार का यह पूरा प्रयास होगा कि विकास का लाभ प्रदेश के कमजोर और निर्धन वर्गों को अधिक से अधिक उपलब्ध हो। इस हेतु रोजगार प्रधान छोटे और मझोले उद्योगों, हाथ कर्घा उद्योग और खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की गतिविधियों को विशेष बल दिया जावेगा क्योंकि यह हमारे आर्थिक विकास में विशेष स्थान रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निम्न सम्बोधन में निहित विचारधारा हमारा निरन्तर मार्गदर्शन करती रहेगी।

> "हमें सदा याद रखना चाहिये कि मात्र भारी उद्योगों के विकास से इस देश के लाखों लोगों की समस्या हल नहीं हो जाएगी। हमें ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास करना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बड़े और छोटे उद्योगों का विकास करने के प्रयासों में हम मानवीय पहलू को न भूल जावें।"

119. वर्ष 1988-89 में इन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजना एवं आयोजना भिन्न व्यय में वृद्धि प्रस्तावित है। कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्न होंगी :--

(1) प्रदेश के रेगिस्तानी जिलों के लिए हाथकरघा के क्षेत्र में ऊनी वस्त्र तैयार करने की एक विशेष योजना तैयार की गई है। योजना के प्रथम चरण में 2400 बुनकर परिवार लाभान्वित हो सकेंगे।

(2) राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम की सहायता से 1000 नये बुनकर परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

(3) जयपुर में जैम स्टोन उद्योग की प्रतिभा का समुचित उपयोग करने की दृष्टि से आधुनिक तकनीक द्वारा रत्न उद्योग के प्रसार हेतु रीको द्वारा जयपुर में एक जैम स्टोन इण्डस्ट्रियल

पार्क की स्थापना की जायेगी जिससे लगभग 400 इकाइयों की स्थापना हो सकेगी और 6000 परिवारों को रोजगार मिल सकेगा।

(4) महिला उद्यमियों को उद्योग धंधा लगाने हेतु राजस्थान वित्त निगम द्वारा विशेष प्रशिक्षण एवं तकनीकी सलाह देने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए ऋण पर प्रथम वर्ष की ब्याज की राशि में 25,000 रुपये की सीमा तक अनुदान राशि दिए जाने की योजना अगले वर्ष भी जारी रहेगी। 50,000 रुपये तक के ऋणों के लिए महिला उद्यमियों को कोलेटरल जमानत तथा व्यक्तिगत गारन्टी में छूट दी हुई है। 50,000 रुपये से ऊपर के ऋणों पर एवं जो उद्योग किराये के स्थानों पर चलते हैं, महिला उद्यमियों के मामलों में कोलेटरल जमानत के स्थान पर उनके पति या किसी और व्यक्ति की व्यक्तिगत गारन्टी भी स्वीकार की जावेगी।

(5) शिल्पबाड़ी योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों एवं दस्तकारों को वित्त निगम द्वारा विशेष प्रयास करके सहायता दिलाई जावेगी। इसके अन्तर्गत कार्यशाला की स्थापना, कच्चे माल की आपूर्ति, औजारों एवं विपणन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(6) राज्य में चर्म उद्योगों के विकास की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए इसके व्यवस्थित विकास का एक विशेष कार्यक्रम अगले वर्ष हाथ में लिया जायेगा जिससे विशेष रूप से निर्धन वर्ग के परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

(7) जयपुर में एक कन्टेनर फ्रेट स्टेशन जो ड्राई पोर्ट के रूप में कार्य करेगा, की स्थापना हेतु भारत सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है। इससे निर्यातकों को लाभ के साथ-साथ राज्य का निर्यात व्यापार तेजी से बढ़ सकेगा। इस योजना पर अगले वर्ष कार्य प्रारम्भ होने की आशा है।

120. पिछले कुछ वर्षों में उठाये गये कदमों से एवं उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम एवं गतिविधियों से राज्य का औद्योगिक विकास, विशेषतया रोजगारोन्मुख उद्योगों का विकास, तीव्र गति से हो सकेगा।

परिवहन

121. आवागमन की सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार के लिये निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस वर्ष अभी तक स्टेज कैरिज के 863 नए परमिट स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1,910 किलोमीटर लम्बे 42 नए बस मार्ग खोले गए हैं और 87 मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है। अभी तक 2,000 से अधिक आबादी वाले अधिकांश गांवों को बस सेवा उपलब्ध है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को बस सेवा से जोड़ने के प्रयासों के अन्तर्गत 1,100 गांवों का सर्वेक्षण कराया जा चुका है। इनमें से 134 ग्रामों को बस सेवा उपलब्ध हो चुकी है और अतिरिक्त मार्ग खोलने व मार्गों की वृद्धि की जो स्वीकृतियां जारी की गई हैं उसके अन्तर्गत 139 गांव बस सेवा से और जुड़ जावेंगे। सड़क सुरक्षा के उपायों को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषद् और प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा समितियां गठित की जा रही हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की वर्ष 1987-88 की संशोधित 5.25 करोड़ रुपये की योजना सीमा के विरुद्ध वर्ष 1988-89 के लिए 7.25 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित किया गया है। निगम द्वारा अगले वर्ष

में 2,900 लाख किलोमीटर संचालन का लक्ष्य है। निगम द्वारा अगले वर्ष यात्री सुविधा के लिए 10 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है।

समाज कल्याण

122. अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प को मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। शैक्षणिक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 1988-89 में 20 नये छात्रावास खोले जाना प्रस्तावित है जिनमें 500 छात्रों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

123. पिछले कई वर्षों से छात्रावास भवनों का निर्माण नहीं कराया जा सका है। वर्ष 1988-89 में अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम से एवं अकाल मद में मजदूरी के पेटे उपलब्ध राशि की सहायता से 50 छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

124. नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष में 1,20,607 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य पर कार्य चालू है तथा जनवरी, 1988 तक 1,02,344 परिवारों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। वर्ष 1988-89 में 1,25,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

125. अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशिष्ट संगठक योजना में 1988-89 की वार्षिक योजना का 16 प्रतिशत भाग व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

126. यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जन जाति वित्त और विकास निगम" की स्थापना की हाल ही में घोषणा की है। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम एवं राजस्थान जन जाति क्षेत्रीय विकास संघ केन्द्र के इस नवस्थापित निगम की योजनाओं एवं सहायताओं का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे।

127. अनुसूचित जाति के परिवारों को त्वरित गति से लाभान्वित करने के लिये वर्ष 1988-89 में निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तावित हैं :—

(1) वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ की गई ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान आवंटन योजना इस वर्ष भी क्रियान्वित की जावेगी और लगभग 1,000 दुकानें निर्मित करवाई जावेंगी जिसकी इकाई लागत 10,000 रुपये होगी।

(2) लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामूहिक रूप से सिंचाई के लिये निःशुल्क कुए उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी चालू रखा जावेगा। जिसके तहत 100 कुए बनवाने का कार्यक्रम है।

(3) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,000 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिये सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) केन्द्र की देश में 10 लाख कुए बनाने की नई योजना का भी पूरा लाभ उठाया जायेगा।

(5) बुनकरों के लिये 400 कार्यशालाएं बनाई जावेगी जिनकी इकाई लागत 6,000 रुपये होगी।

(6) मूक बधिर एवं अंध विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु जो निजी शिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनको अनुदान की अन्य शर्तें पूरी न करने पर जो संस्थाएं अनुदान सूची पर नहीं है उनको अनुदान सूची पर प्राथमिकता से लिया जाना तथा इस क्षेत्रमें जो पुरानी संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं और 90 प्रतिशत से कम अनुदान पा रही हैं उनको अनुदानसमिति की अनुशंसा पर अनुदान में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है ।

128. राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के माध्यम से निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जायेंगे:-

(क) सामूहिक पम्प सेट योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को 200 पम्प सेट उपलब्ध कराये जावेंगे । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खोदे कुओं पर भी उपरोक्त सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) बाड़मेर जिले में कशीदाकारी कार्य में लगी हुई अनुसूचित जाति की महिलाओं को उचित मजदूरी एवं लाभ दिलाने के लिये निगम द्वारा कच्चे माल एवं मजदूरी हेतु रिवाल्विग फण्ड की एक योजना बनाई गई है । जिसके अन्तर्गत 500 महिलाओं को लाभ दिया जावेगा ।

(ग) स्थानीय निकायों द्वारा मुक्त किये गये सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु जिला ग्रामीण क्राफ्ट प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें तत्पश्चात् निगम की योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया जावेगा । जिसमें 500 सफाई कर्मचारियों को लाभान्वित कराना प्रस्तावित है ।

(घ) अनुसूचित जाति के दस्तकारों/कामगारों के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान हाथ करघा विकास निगम तथा भेड़ एवं ऊन संघ के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के तहत 1,000 गरीब परिवारों को प्रशिक्षण तथा स्वनियोजन हेतु कच्चा माल आदि उपलब्ध कराते हुए लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

विकलांग

129. विकलांगों के लाभ हेतु निम्न प्रस्ताव हैं:-

(1) अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में 3 प्रतिशत पद आरक्षित हैं । विगत 10 वर्ष के अंश के लक्ष्य की पूर्ति के लिये दिनांक 31-3-1988 निश्चित की गई है एवं विकलांग नियोजन का विशेष अभियान चलाया गया है ।

(2) चालू वर्ष में निर्णय लिया गया है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों को रुपये 150 प्रति माह की दर से और स्नातकोत्तर विकलांग व्यक्तियों को रुपये 250 प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक या उनके रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो, दिया जावेगा ।

(3) विकलांग क्षेत्र में कार्यरत श्रेष्ठ स्वरोजगार, नियोजक, प्रेषक अधिकारी, श्रेष्ठ समाज सेवक व संस्था को

राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना वर्ष 1988-89 में लागू की जावेगी।

विधवा एवं तलाकशुदा महिलायें

130. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के आर्थिक उत्थान एवं उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए अगले वर्ष कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं :—

(1) वर्ष 1987-88 में राज्य सरकार ने विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के राज्य सेवा में नियोजन हेतु ऊपरी आयु सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखने का प्रावधान विभिन्न सेवा नियमों में कर दिया है। साथ ही रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति पाने की बाध्यता को समाप्त किया गया है। यह भी प्रस्ताव है कि राजकीय प्रतिष्ठानों पर भी यह निर्णय लागू किए जावे।

(2) एस.टी.सी. एवं बी.एड. में प्रशिक्षण पाने वाली विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है।

(3) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दिये जाने का प्रस्ताव है।

(4) शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिये एस.टी.सी. एवं बी.एड. की योग्यता में छूट दिया जाना इस शर्त के साथ प्रस्तावित है कि 3 वर्ष के अन्दर यह योग्यता प्राप्त करली जावेगी। ऐसे प्रशिक्षण के लिये अर्ध वेतन पर स्टडी लीव प्रदान किया जाना भी प्रस्तावित है।

(5) राजकीय सेवाओं में नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं पर लागू नहीं होंगे।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत प्रथम वरीयता दिलाकर 5,000 विधवाओं को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

(7) ट्राइसम/स्काइट की तरह शहरी क्षत्रों में भी विधवा महिलाओं को प्रशिक्षण पश्चात् स्वरोजगार दिलाने की एक योजना आरम्भ की जावेगी जिसे बैंक ऋण के साथ 1,500 रुपये अनुदान दिया जावेगा। वर्ष 1988-89 में 500 विधवा महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

(8) घरेलू औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,000 महिलाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य में कम से कम 25 प्रतिशत विधवाओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया जावेगा।

(9) पोलीटेकनिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिये प्रवेश के आरक्षित स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थानों पर युवा विधवा अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश, अधिकतम निर्धारित आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं शिक्षण शुल्क में मुक्ति प्रस्तावित है।

(10) महिला उद्यमियों एवं दस्तकारों को लाभान्वित करने हेतु राजस्थान वित्त निगम के कार्यालय में एक समन्वय कक्ष की स्थापना की जावेगी और विधवाओं को ऋण देने में वरीयता दी जाएगी।

अल्प संख्यक

131. अल्प संख्यकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं :-

(1) अनुसूचित जाति के छात्रों की भांति प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने के लिये अल्प संख्यकों के छात्रों को भी प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

(2) 10+2 योजना के अन्तर्गत जो हायर सेकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत होंगे और जहां हायर सेकण्डरी में उर्दू एवं सिंधी के वैकल्पिक विषय उपलब्ध थे उन्हें 10+2 स्तर पर भी क्रमोन्नत कर चालू रखे जाने का प्रस्ताव है।

(3) कुछ चुने हुए केन्द्रों पर 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषयों में विशेष कोचिंग दिलाने की व्यवस्था की जावेगी जिसके लिए प्रारम्भ में 6 स्थानों पर ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(4) परम्परागत मदरसों में कार्यरत अध्यापकों को सामाजिक ज्ञान, गणित एवं विज्ञान का अंशकालीन प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था प्रस्तावित है ताकि प्रारम्भिक कक्षाओं में बच्चों को इन विषयों का ज्ञान भी प्रदान कराया जा सके।

वृद्धावस्था पेंशन

132. विधवा, असहाय, अपंग एवं वृद्धों को मिलने वाली पेंशन राशि को 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार पति एवं पत्नी को सामूहिक रूप से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है।

महिला, बच्चे एवं पोषाहार

133. समेकित बाल विकास सेवायें समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों व महिलाओं को बेहतर जीवन शुरू करने के अवसर एवं मूलभूत सेवायें प्रदान करती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये और गर्भवती व दूध पिलाती महिलाओं के पोषाहार स्तर को विकसित करने के लिये मार्च, 1987 तक राज्य में 63 योजनाएं कार्यरत थी और भारत सरकार ने इस वर्ष 20 नई परियोजनायें स्वीकृत की है तथा इसके अतिरिक्त 17 पंचायत समितियों में विशेष पोषाहार

कार्यक्रम चालू है। वर्ष 1987-88 में 31-3-1987 को कार्यरत 63 परियोजनाओं से 5 लाख से अधिक बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इस वर्ष 20 नई परियोजनाओं में 6 पश्चिमी जिलों—बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, नागौर एवं जालौर में कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों को पोषाहार देने का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया गया है और इससे 2.28 लाख अतिरिक्त बच्चे एवं महिलाओं को लाभ पहुंचाने का अनुमान है।

134. इन परियोजनाओं पर वर्ष 1988-89 में 4.50 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 1987-88 के 2.50 करोड़ रुपये के प्रावधान से 2 करोड़ रुपये अधिक है।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

135. राज्य सरकार राज्य में पर्यटन विकास हेतु प्रयत्नशील है। नये पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यटन साहित्य का मुद्रण, मेलों त्यौहारों का आयोजन तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम में विनियोजन हेतु 2.35 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

136. कला एवं स्थापत्यकला के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जायेगा। पर्यटन स्थल गणेश्वर (नीम का थाना) में उत्खनन कार्य आरम्भ कराया जायेगा। स्वतन्त्रता सेनानियों के संस्मरण टेप कराने एवं उन्हें लिपिबद्ध करने के कार्य को व्यवस्थित रूप दिया जायेगा।

137. कला एवं संस्कृति क्षेत्र में राजस्थान प्राच्य शोध संस्थान, अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, जयपुर कत्थक केन्द्र, रवीन्द्र मंच, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान स्कूल आफ आर्टस, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत अकादमी एवं जवाहर कला केन्द्र तथा बृज अकादमी कार्यरत है।

138. वर्ष 1988-89 में कला एवं संस्कृति के कार्यक्रमों के लिये 1.78 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है।

139. वर्ष 1988-89 में खेलकूद कार्यक्रम को गति देने के लिये 90 लाख रुपये का आयोजना व्यय प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में स्टेडियम का विकास एवं विस्तार, खेलों के मैदानों का विकास, गांवों में और जन जाति क्षेत्र में खेल केन्द्रों की स्थापना, जिलों एवं खण्डों में स्टेडियम, महिलाओं के लिये खेलकूद केन्द्र, 2 छात्रावासों का निर्माण और माउण्ट आबू में एक खेलकूद काम्पलेक्स की स्थापना सम्मिलित है।

140. इस समय राज्य में केवल एक यूथ होस्टल जयपुर में स्थित है। हमारे प्रयासों से भारत सरकार ने 4 नये यूथ होस्टल जोधपुर, अजमेर, कोटा व उदयपुर में बनाने की सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी है। जोधपुर में यूथ होस्टल बनाने के लिये 44.80 लाख रुपये की स्वीकृति भारत सरकार ने जारी कर दी है।

सड़क एवं पुल

141. राज्य सरकार आवागमन के साधनों के विकास के लिये सड़कों के निर्माण को काफी महत्व देती है। वर्ष 1987–88 के 16.50 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में वर्ष 1988–89 में 23.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 1988–89 में विभिन्न मदों–राज्य योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना, भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 1600 कि. मी. की नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

142. 1500 से अधिक आबादी के 3300 गांवों में से 2681 गांवों को इस वर्ष के अन्त तक सड़कों से जोड़ा जायेगा। वर्ष 1988–89 में 90 और गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 1500 से कम आबादी वाले 300 गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

143. राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983–84 से अब तक 46.52 करोड़ रुपये की लागत से 781 सड़कों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है। इसमें अभी तक 22.50 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं तथा 1950 किलोमीटर लम्बी सड़कें बन चुकी हैं। शेष कार्य को अगले वर्ष में पूरा किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

144. जयपुर-आगरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग–11 पर बाण गंगा नदी पर, जयपुर-कोटा राष्ट्रीय उच्च मार्ग–12 पर बनास नदी पर, अलवर-बहरोड़ सड़क पर साबी नदी पर, सिकन्दरा–बांदीकुई सड़क पर बाण गंगा नदी पर, सवाईमाधोपुर-शिवपुर सड़क पर, चम्बल नदी पर, तथा दौसा-सवाई माधोपुर सड़क पर बनास नदी पर, पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अजमेर-भीलवाड़ा सड़क पर खारी नदी पर धौलपुर-सेपऊ सड़क पर पार्वती नदी पर तथा बछेरन-खेरली नवगांव सड़क पर बाण गंगा नदी पर पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। बीकानेर शहर में रानी बाजार क्षेत्र में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 145 लाख रुपये की लागत की स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ कर दिया गया है। सिकन्दरा-बांदीकुई बाण गंगा नदी पर तथा दौसा-सवाई माधोपुर बनास नदी पर पुलों का निर्माण वर्ष 1988-89 में पूरा कराये जाने का प्रस्ताव है।

145. राज्य में संवत् 2043 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 2030 सड़क निर्माण कार्य 86.83 करोड़ रुपयों के स्वीकृत किये गये जिन पर 34.27 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं तथा लगभग 250 लाख श्रम दिवसों को सृजित किया गया है। सम्वत् 2044 में 4000 सड़क निर्माण कार्य 60 करोड़ रुपयों की लागत के स्वीकृत किये गये हैं जिन पर 4 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

146. विशेष समस्या क्षेत्र की सड़कों के लिये धौलपुर तथा सवाई माधोपुर जिलों में 22 कार्य 19.80 करोड़ रुपयों की लागत से प्रगति पर हैं जिनके लिये वर्ष 1987-88 में राजकीय मद से 2.00 करोड़ रुपये तथा केन्द्र प्रवर्तित में भी 2.00 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है । अगले वर्ष इन क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ रुपये राजकीय मद से एवं 3 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

147. माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष होता है कि भारत सरकार ने हमारे विशेष प्रयासों से राजस्थान में निम्न 7 पुलों के निर्माण के लिए 24.10 करोड़ रुपये की सहायता देने का हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है :-

(1) काली सिन्ध नदी पर कोटा-बारां-शाहाबाद-शिवपुर सड़क पर	800 लाख रुपये
(2) पार्वती नदी पर कोटा-बारां-शाहाबाद-शिवपुरी सड़क पर	750 लाख रुपये
(3) मोरेल नदी पर दौसा-सवाई माधोपुर-पालीघाट-शिवपुर सड़क पर	400 लाख रुपये
(4) बाण गंगा नदी पर दौसा-सरिस्का-अलवर-दिल्ली सड़क पर	200 लाख रुपये
(5) आलनिया नदी पर कोटा-बारां-शाहाबाद-शिवपुरी सड़क पर	200 लाख रुपये
(6) सुरपगला नदी पर आबू-अम्बाजी सड़क पर एवं सड़क को चौड़ा करने पर	30 लाख रुपये
(7) मकरिया नाले पर बांसवाड़ा-दोहाद सड़क पर	30 लाख रुपये

148. इतने बड़े पैमाने पर राज्य के लिये भारत सरकार ने पहली बार पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी है । मैं आशा करता हूं कि इनसे अन्तर्राज्यीय यातायात में और राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार होगा ।

149. प्रदेश में 2521 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नवीनीकरण, चौड़ा करने एवं सुधार करने के कार्य के लिये भारत सरकार ने इस वर्ष 17 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं एवं अगले वर्ष 21 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है । वर्ष 1988-89 में दिल्ली-जयपुर मार्ग पर 4 वाहन एक साथ चलाने (फोर लेन) की सुविधा दिलाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।

जन जाति क्षेत्रीय विकास

150. राज्य के जन जाति परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय उत्थान के लिये विभिन्न प्रकार की योजनायें निम्न 4 क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है:–

(1) **जन जाति उपयोजना क्षेत्र**

151. वर्ष 1987–88 में इस क्षेत्र में 79.63 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है । सबसे अधिक व्यय सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर किया गया है । इसके बाद सामुदायिक सेवाओं, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं का स्थान आता है । कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 1987 तक 5,556 क्विन्टल उन्नत बीज, 10,461 मैट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया गया है । फल विकास कार्यक्रम में 61,000 पौधों का वितरण किया गया । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 8,100 परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आर्थिक सहायता एवं साधन उपलब्ध कराये गये । 56,000 जनजाति के

छात्र छात्राओं को मुफ्त पोशाक, पुस्तकें, लेखन–सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी। वर्ष 1988–89 के लिये 102.69 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। वर्ष 1988–89 में कई नये कार्यक्रम लिये जाने प्रस्तावित है जिनमें कृषि औजारों का वितरण भी सम्मिलित है। कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 9,400 क्विंटल उन्नत बीज एवं 13,700 मैट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। फसल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 जनजाति कृषकों को लाभ पहुंचाया जायेगा। 1000 कृषि कुओं को गहरा किया जायेगा तथा 280 डीजल पम्प सेटों का वितरण किया जायेगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 25,000 परिवारों को सहायता दी जायेगी। 500 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। 85,000 जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुफ्त पोशाक, पुस्तकें एवं लेखन सामग्री वितरित किया जाना प्रस्तावित है। 90 कि. मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया जायेगा। 1400 हैण्ड पम्पों की स्थापना की जायेगी।

(2) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)

152. चालू वर्ष के 311.42 लाख रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में वर्ष 1988–89 में 364.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत 11,01 5जनजाति परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

(3) बिखरी जनजाति आबादी हेतु विकास की योजनायें

153. 25 जिलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के 13.53 लाख की जनसंख्या के लिये वर्ष 1988-89 में 70 लाख रुपये की विभिन्न योजनायें वर्ष 1987-88 के 50 लाख के मुकाबले प्रस्तावित हैं जिनसे 14,030 जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(4) सहरिया विकास कार्यक्रम

154. कोटा जिले की पंचायत समिति किशनगंज और शाहाबाद में सहरिया विकास कार्यक्रम अलग से क्रियान्वित किया जा रहा है उसके लिये वर्ष 88-89 में 20 लाख रुपये की धन राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है। कुल राशि का 47 प्रतिशत शिक्षा कार्यक्रमों पर तथा 28 प्रतिशत लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। चयनित प्रशिक्षित कृषकों को 1988-89 में प्रोत्साहन राशि व खाद बीज कीट नाशक दवाइयों के लिये अनुदान दिया जायेगा। 4 आश्रम स्कूल संचालित किये जा रहे हैं तथा 4 आश्रम स्कूलों का भवन निर्माण कार्य वर्ष 1988-89 में पूरा करा लिया जावेगा।

155. वर्ष 1988-89 में जन जाति क्षेत्रों में हमारा यह प्रयास रहेगा कि व्यक्तिगत लाभ की अधिक से अधिक योजनायें बनाकर जन जाति के लोगों को लाभान्वित कराया जाये। इस हेतु यदि योजना परिव्यय में कोई परिवर्तन जरूरी हुआ तो वह भी किया जायेगा।

राजस्व प्रशासन

156. इस वर्ष सदी के भीषण अकाल के कारण भू-राजस्व एवं तकावी की क्रमशः 34.41 करोड़ रुपये एवं 2.80 करोड़ रुपये की वसूली स्थगित करदी गई है। अनूपगढ़ में सहायक जिलाधीश के नए न्यायालय की स्थापना की गई व गंगानगर जिले के घड़साना कस्बे में वर्तमान अनूपगढ़ तहसील को विभाजित कर एक नई तहसील का गठन भी किया गया है। राज्य सरकार की 250 व इससे अधिक जनसंख्या वाले मजरों व ढाणियों की नियमित राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने की नीति के अन्तर्गत अब तक 1400 ढाणियां को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा चुका है। 35 तहसीलों का बंदोबस्त कार्य प्रगति पर है व 6 तहसीलों का कार्य हाथ में लेने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

आज की आवश्यकताओं के अनुकूल बन्दोबस्त प्रणाली को अधिक जनोपयोगी और सरल बनाने की दृष्टि से इस नीति में मौलिक परिवर्तन लाने का राज्य सरकार विचार रखती है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं राजस्व मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु 6 आयुक्तों के कार्यालय प्रारम्भ किये जा चुके हैं। सीलिंग कानून के अन्तर्गत दिसम्बर, 1987 तक 88,104 मामले दर्ज हुए जिसमें 86,529 मामले निर्णीत हो चुके हैं जो 98.02 प्रतिशत हैं। 6.13 लाख एकड अधिग्रहण योग्य घोषित भूमि में से 5.44 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है एवं 4.43 लाख एकड भूमि 72,871 व्यक्तियों को आवंटित/वैकल्पिक उपयोग हेतु आरक्षित कर दी गई है। राज्य में कृषि भूमि रूपान्तरण के मामलों में पुनः अपेक्षित गति लाने के लिए राजस्व विभाग के अन्तर्गत एक राजस्व भूमि रूपान्तरण विभाग का गठन किया गया है।

अकाल राहत

157. वर्ष 1988-89 के लिए सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य तथा अन्य राहत कार्य हेतु भारत सरकार ने आयोजना व आयोजना भिन्न मद में 143.73 करोड़ रु. की राशि की व्यय सीमा स्वीकृत की है। यह व्यय सीमा राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक सप्लीमेन्टरी मेमोरेण्डम अभी हाल ही में भारत सरकार को प्रेषित किया है। अतः अभी बजट अनुमानों में ऊपर वर्णित सीमा तक के व्यय को ही सम्मिलित किया गया है। इस वर्ष 1987-88 में सिंचाई योजनाओं के लिए भारत सरकार ने जो अग्रिम योजना सहायता के रुपये 18.75 करोड़ अतिरिक्त प्रदान किए थे उस धन राशि में से सम्भावित बची हुई राशि 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान भी 1988-89 में किया गया है। चारा परिवहन अनुदान का व्यय इससे अतिरिक्त होने के कारण उसका अलग से प्रावधान किया गया है। अकाल राहत मद के अन्तर्गत आयोजना एवं आयोजना भिन्न मदों में कुल प्रावधान 171.64 करोड़ रु. वर्ष 1988-89 के लिए प्रस्तावित है। भारत सरकार से संशोधित सीमा प्राप्त होने के पश्चात् यदि राज्य के साधनों में से भी राशि देना आवश्यक हुआ तो उस समय निर्णय ले लिया जायेगा।

158. इस समय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अकाल पीड़ित जनता को राहत देने तथा पशु धन के लिये चारा पानी की व्यवस्था करने की है। यह बहुत बड़ा कार्य है जिसे अकेली सरकार पूरा नहीं कर सकती। केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्री जी, हर सम्भव राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता की सहायता कर रहे हैं। देश वासियों, प्रदेशवासियों और राजस्थान के अप्रवासी लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। संकट की इस घड़ी में मैं आप सभी के सहयोग का आह्वान करता हूं। आने वाला समय कठिनाई का समय है। सरकार के सामने इससे निपटने की चुनौती है। हमारा प्रयास यही होगा कि हम इस विषम परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए पूर्णरूप से संकल्पबद्ध होकर कार्य करें।

न्यायिक प्रशासन

159. न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1988-89 में आठवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ए. सी. जे. एम. के 4 एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत ए. डी. जे. के 4 तथा 2 पारिवारिक न्यायालय नये खोले जाने प्रस्तावित हैं।

प्रशासन स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रम

160. आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के लिए पुलिस, शिक्षा, जेल, जनजाति, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रशासन इत्यादि हेतु प्रशासन स्तर में सुधार के लिए 48.20 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा।

161. उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के अन्त तक 32.29 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 1988-89 के लिए 16.38 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

वर्ष 1986–87 की वास्तविक स्थिति

162. वर्ष 1986-87 के अन्त में संशोधित अनुमानों के अनुसार 21.60 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित था लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1986–87 के अन्त में 43.16 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा है। यह अधिशेष मुख्यतया विभिन्न संस्थाओं के निजी निक्षेप खातों में राज्य कोषालयों में उपलब्ध राशि, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, पुनरीक्षित वेतनमान नियमों के अनुसार पूरा भुगतान न होने एवं अग्रिम आयोजना सहायता के तहत प्राप्तियां होने के कारण हैं।

वर्ष 1987–88 के संशोधित अनुमान

163. वर्ष 1987–88 के बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में 116.62 करोड़ रुपये का घाटा आंका गया था। विनियोग विधेयक में दी गई रियायतों से यह घाटा 118.87 करोड़ रुपये का हो गया। तत्पश्चात् मुद्रांक और कोर्ट फीस में छूट देने के कारण यह घाटा और बढ़कर 124.27 करोड़ रुपये हो गया था। वर्ष 1987–88 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 162.26 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। इसमें वर्ष 1987–88 के प्रारम्भिक अधिशेष के 43.16 करोड़ रुपये को सम्मिलित करने के पश्चात् इस वर्ष के अन्त में 119.10 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है।

164. वर्ष 1988-89 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. राजस्व प्राप्तियां	2169.26
2. राजस्व व्यय	2361.07
3. राजस्व खाते में घाटा	(−) 191.81
4. पूंजीगत प्राप्तियां	1160.35
5. योग (3 तथा 4)	(+) 968.54
6. पूंजीगत व्यय	1111.48
7. शुद्ध योग (5–6)	(−) 142.94

165. पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय में भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त होने वाली और उसके पुनर्भुगतान की राशि सम्मिलित है।

166. वर्ष 1987-88 के अन्त में रहे 119.10 करोड़ रुपये के सम्भावित घाटे को जोड़कर वर्ष 1988-89 के अन्त में समग्र घाटा 262.04 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

167. मेरे द्वारा प्रस्तावित कुछ कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था करना जरूरी होगा जिसके लिए यथा समय समुचित कार्यवाही की जावेगी ताकि प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति उपलब्ध साधनों में हो सके। मेरा सतत् प्रयास होगा कि बहुत से मौजूदा कार्यक्रमों की निरन्तर उच्च स्तर पर समीक्षा करके उनको नई दिशा प्रदान कर अपने उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा किया जावे।

कर प्रस्ताव

168. जहां यह निर्विवाद है कि किसी भी वित्त नीति का एक प्रमुख प्रयोजन उसके माध्यम से राज्य के सतत् प्रवहमान विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है वहीं इस नीति का दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि कर प्रशासन में सुधार और उन्नयन की दृष्टि से कर ढांचे में एकरूपता लाई जाए तथा उसका सरलीकरण किया जाए। इस वर्ष, लगातार चौथी बार पड़े भीषणतम अकाल के फलस्वरूप, कर दरों में वृद्धि कर अतिरिक्त संसाधन जुटाने की चेष्टा से आम आदमी की कठिनाई बढ़ सकती है। अतः मैं ऊपर वर्णित दूसरे प्रयोजन पर ध्यान केन्द्रित कर, कर ढांचे को इस प्रकार

युक्तिसंगत करने का प्रयास करूंगा जिससे कि इसके सरलीकरण के साथ-साथ यह समग्र विकास की प्रवृत्तियों को इस प्रकार बढ़ावा देवे जिससे कि राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास का प्रादुर्भाव हो तथा राज्य के राजस्व पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

169. अतः मेरे इन प्रस्तावों में माननीय सदस्य, जहां एक ओर विधि एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के माध्यम से व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्यिक प्रवृत्तियों की वृद्धि एवं प्रसार का निष्ठापूर्ण प्रयास देखेंगे वहीं दूसरी ओर कमजोर वर्गों तथा जन-साधारण के लिए राहत की घोषणा के सद्भावनापूर्ण यत्न का भी सुखद अनुभव करेंगे।

170. मैंने कार्यग्रहण करते ही समाज के जागरूक वर्गों, जैसे शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य की विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों से विस्तार से विचार विमर्श किया। जिसके दौरान मैंने उनसे बजट के विभिन्न पहलुओं पर उनके विचार जाने। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मुझे उक्त विचार विमर्श से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ तथा मैंने बजट प्रस्तावों में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो सका इनमें से उचित सुझावों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है।

171. 1985 में, जब से विक्रय कर पर अधिभार (सरचार्ज) लागू किया गया, तब से राज्य के उद्योग एवं व्यापार वर्ग की ओर से इसको समाप्त करने की मांग सतत् रूप से की जाती रही है क्योंकि इससे कर संगणना में कई प्रकार की प्रशासनिक एवं लेखे सम्बन्धी असुविधाएं अनुभव की जा रही थीं। चारों ओर से उठी इस मांग को ध्यान में रखते हुए, मैं अधिभार समाप्त करने तथा तत्स्वरूप विभिन्न कर-दरों को इस तरह युक्ति-संगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे कि हमारा कर-राजस्व प्रभावित न हो। इसको मूर्त रूप देने हेतु, मैं इकजाई नई कर दरें निश्चित

करते हुए, तुरन्त प्रभाव से, एक अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि विक्रय कर पर से अधिभार समाप्त करने की घोषणा का उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वागत होगा।

172. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 5ग एवं 5गग के अधीन विनिर्माताओं के लिए कच्चे माल के क्रय पर लागू कर दर क्रमशः 2 प्रतिशत (2.4% अधिभार सहित) एवं 1 प्रतिशत (1.2% अधिभार सहित) को भी क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 1.5 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अतिरिक्त राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 5गगग के अधीन विधायन सामग्री के लिए विहित कर दर 4 प्रतिशत (4.8% अधिभार सहित) को 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी, मैं करता हूं। इन प्रस्तावों एवं कुछ अन्य तत्स्वरूपी प्रस्तावों के, तत्काल प्रभाव से, क्रियान्वयनार्थ इस बजट भाषण के तत्काल पश्चात्, मैं आपके सन्मुख राजस्थान वित्त विधेयक, 1988 प्रस्तुत करूंगा।

173. आपको याद होगा कि 1987-88 के बजट भाषण में व्यवहारियों को राहत देने की दृष्टि से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर निर्धारण की समय-सीमा पांच से घटाकर चार वर्ष की गई थी जिससे कि ऐसे व्यवहारियों से व्यापार पुस्तकें तथा अन्य अभिलेख सामान्यतया चार वर्ष से अधिक समय तक सुरक्षित रखने की अपेक्षा न रहे। ऐसा करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी की थी कि भविष्य में इस समय सीमा को और घटाया जाना संभव हो सकेगा। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हमारे लिए वर्तमान में ही ऐसा किया जाना संभव हो गया है। अतः मैं इस समय-सीमा को चार वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं।

174. मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने एवं व्यापारी समुदाय को कुछ राहत प्रदान करने की दृष्टि से सन् 1986 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 3 में कर दायित्व हेतु पण्यावर्त सीमाओं को आयातकर्ता के मामले में 10,000 रु. से 15,000 रु. और विनिमार्ता के मामले में 25,000 रु. से 35,000 रु. बढ़ाया गया था। विचार विमर्श के दौरान, छोटे एवं कृषि आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इन सीमाओं को और बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि छोटे व्यवहारियों एवं विनिर्माताओं को रजिस्ट्रीकरण एवं कर दायित्व की बाध्यता से मुक्ति मिल सके। इसके फलस्वरूप, मैं आयातकर्ता के मामले में उपरोक्त वर्णित सीमा 25,000 रु. एवं विनिर्माता के मामले में 50,000 रु. करने का प्रस्ताव करता हूं।

175. किसी व्यवहारी द्वारा निर्धारित समय में विवरणी प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 7 कक के अधीन निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित कर की 50 प्रतिशत तक शास्ति आरोपित कर सकता है। मैं यह महसूस करता हूं कि यह प्रावधान, जो कि मूलतः तकनीकी दृष्टि के अपराधों के लिए है, कुछ कठोर प्रतीत होता है। अतः मैं इस शास्ति की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर के 50 प्रतिशत के स्थान पर घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

176. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की व्यवहारियों को देय कर के प्रत्यर्पण से सम्बन्धित धारा 23 में यह अनुबन्ध है कि किसी व्यवहारी के प्रत्यर्पण का दावा निर्धारण आदेश के पारित होने के 24 माह के अथवा अपील, रिवीजन, रिव्यू या रेफरेन्स में दिए गए अन्तिम आदेश के 12 माह के, जो भी अवधि बाद की हो, भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। मैं यह महसूस करता हूं कि यह अवधियां अपर्याप्त हैं, अतः मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि इनको बढ़ाया जाकर क्रमशः 48 माह और 24 माह कर दिया जाये।

177. वर्तमान में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को आवश्यक रूप से विवरणी प्रस्तुत करनी होती है, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण का आधार बनायी जाती है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ऐसे कई हजारों व्यवहारी हैं, जो केवल कर-मुक्त अथवा कर-संदत्त माल का व्यवहार करने के कारण कर दायित्व से मुक्त हैं। ऐसे कुछ मामलों में मेरा बड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण है। व्यापारियों के इस वृहद् वर्ग को राहत प्रदान करने के साथ-साथ वाणिज्यिक कर विभाग के इस अनउत्पादक प्रशासनिक कार्य को कम करने की दृष्टि से, मैं प्रथम चरण में ऐसे समस्त व्यवहारियों को विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूं, जो केवल कर-मुक्त एवं कर-संदत्त माल का विक्रय करते हैं तथा जिनका वार्षिक पण्यावर्त पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में 15 लाख से अधिक न हो। मुझे विश्वास है कि इस से लगभग 40,000 छोटे फुटकर व्यवहारियों को जो कि राज्य के ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में फैले हुए हैं, अत्यधिक राहत मिलेगी तथा व्यापार एवं वाणिज्य-जगत में इसका व्यापक रूप से स्वागत होगा। इन तथा कुछ अन्य प्रस्तावों, जिनमें विधि में संशोधन अन्तर्वलित है, को मूर्त रूप देने के लिए विधि में समुचित संशोधन, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1988 के माध्यम से, इसी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

178. छोटे व्यवहारियों के लिए एक संक्षिप्त कर निर्धारण योजना जिसे कि स्व-निर्धारण योजना के नाम से जाना जाता है, काफी समय से लागू है। इस योजना को समय-समय पर उदार बनाया गया है तथा वर्तमान में पांच लाख रुपये वार्षिक पण्यावर्त वाले व्यवहारी इसका लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना से व्यावहारियों की, कर निर्धारण हेतु व्यपारिक पुस्तकें लेकर विक्रय कर प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने वाली कई कठिनाइयों का निराकरण हो गया है। लेकिन

वर्तमान योजना में रेण्डम प्रथा के आधार पर कुछ व्यवहारियों का व्यापार पुस्तकों के सन्दर्भ में निर्धारण करने एवं कुछ में निर्धारण पश्चात् व्यापार पुस्तकों से सत्यापन की शर्त मौजूद है। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे छोटे व्यवहारियों के संबंध में, जिनका कर दायित्व नगण्य है, कर राजस्व को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना इस प्रकार योजना का सरलीकरण किया जाना चाहिए जिसमें कि कम से कम प्रतिबन्ध लगाए गए हों। इसी को दृष्टि में रखते हुए, मैं एक अप्रेल, 1988 से, नई स्व-निर्धारण योजना का प्रस्ताव करता हूं, जिसका लाभ 7 लाख रुपये तक वार्षिक पण्यावर्त के ऐसे व्यवहारी प्राप्त कर सकेंगे, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक कर योग्य आवर्त प्रदर्शित करें। इस तरह यह भी सुनिश्चित रह सकेगा कि राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कर राजस्व में प्राप्त होने वाली वार्षिक वृद्धि भी कायम रहे। यह योजना अत्यन्त व्यावहारिक होने के कारण बड़ी लोक-प्रिय सिद्ध होगी। यह अनुमान है कि इस नवीन योजना का लाभ लगभग तीस हजार व्यवहारी ले पाएंगे तथा इस योजना से छोटे व्यवहारियों को स्पष्टतः सहूलियत होने के साथ-साथ विभाग के प्रशासनिक कार्य भार में भी कमी होगी। इस योजना तथा पूर्व में वर्णित कर मुक्त एवं कर संदत्त विक्रय करने वाले व्यवहारियों की योजना के फलस्वरूप कर निर्धारण-अधिकारी बड़े व्यवहारियों के कर निर्धारण पर अधिक ध्यान व समय दे सकेंगे। मैं सभी पात्र व्यवहारियों से इस नवीन स्व-निर्धारण योजना का भरपूर लाभ उठाने की अपील करता हूं।

179. बजट की विषम स्थिति के बावजूद, मैं कर दरों में राहत देना चाहूंगा। विशेषतया वहां जहां कि आम आदमी एवं समाज के कमजोर वर्ग का हित निहित हो। खादी एवं ग्रामोद्योग सैक्टर दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों एवं आंशिक रूप से नियोजित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में भी यह सैक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केन्द्रीय बजट में इस सैक्टर के लिए घोषित राहतों से संकेत लेते हुए, मैं राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन से वित्त पोषित तथा चिन्हित संस्थानों द्वारा विनिर्मित ईंट, चूना, लोहे व लकड़ी के फर्नीचर के विक्रय को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इस से इन कार्यों में लगे ग्रामीण कारीगरों एवं शिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ-साथ ही कर चोरी रोकने की दृष्टि से खादी एवं ग्रामोद्योग सैक्टर में निर्मित साबुन विक्रय के सम्बन्ध में कुछ सीमाएं एवं निबंधन भी निश्चित कर रहा हूं।

180. गत कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्रों में सिले हुए वस्त्र काफी लोकप्रिय हो रहे हैं तथा समाज के कमजोर वर्ग के द्वारा अधिकाधिक खरीदे जा रहे हैं। ग्रामीणों, दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों, आदिवासियों एवं काश्तकारों आदि के द्वारा पहने जाने वाले सस्ती किस्म के ऐसे वस्त्र महिलाओं मुख्यतः विधवाओं के द्वारा सिए जाते हैं। समाज के कमजोर वर्ग को सस्ते सिले हुए वस्त्र के विक्रय को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, मैं कोर्स एवं मीडीयम कपड़े से बने हुए 20 रुपये प्रतिनग तक वाले सिले हुए वस्त्रों के विक्रय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

181. हमारे राज्य का हस्त निर्मित "राखी" एवं "माला" उद्योग जो मुख्यतः जोधपुर एवं अजमेर संभाग में केन्द्रित है, गरीब, विधवा तथा अपंग व्यक्तियों को नियोजित करता है। मुझे बहुत से संगठनों एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से इन हस्त निर्मित राखी आदि को कर से छूट प्रदान करने के लिए ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इन ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए, मैं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आधार पर हस्तनिर्मित "राखी", "हारमाला",

"मोड़", "तुर्रा" एवं "कलंगी" को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

182. "ओपरेशन ब्लेक बोर्ड" कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए, मैं स्कूलों में उपयोग में आने वाले ब्लेक बोर्ड्स के विक्रय को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ।

183. कला एवं संगीत की दृष्टि से हमारा राज्य विविधता-पूर्ण परम्पराओं से समृद्ध है। इन प्रवृत्तियों को अधिकाधिक प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से, मैं भारतीय संगीत वाद्ययन्त्रों को विक्रय कर से मुक्ति का प्रस्ताव करता हूं ।

184. बाड़मेर एवं जैसलमेर में ऊंट एवं बकरी के बालों से दरियां, तंग आदि बनाने का एक बहुत पुराना कुटीर उद्योग है । यह मुख्यत: कुटीर व छोटे उद्योग के रूप में है तथा इसमें गरीब तथा हस्तकला विशेषज्ञ कारीगर नियोजित हैं । विदेशी पर्यटकों में भी ये उत्पाद काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इस उद्योग में लगे ग्रामीण दस्तकारों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से, मैं ऊंट व बकरी के बालों से बनी हस्तनिर्मित दरियों, तंग आदि के विक्रय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

185. पैरों के जूते, चप्पल आदि आजकल समाज के लगभग सभी वर्गों के उपयोग में आते हैं । सस्ते जूतों का उपयोग अधिकांशत: समाज के कमजोर वर्ग विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों के आम आदमी द्वारा किया जाता है । भारत सरकार ने भी हाल ही में कम कीमत के जूतों पर उत्पादन शुल्क में राहत की घोषणा की है। उसी तारतम्य में, मैं 20/- रुपये मूल्य तक के जूतों, चप्पलों आदि को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

186. कुछ समय पूर्व प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से किसानों के लिए काफी राहत एवं सुविधाएं घोषित की गई हैं । इसी सन्दर्भ में अपने बजट भाषण के पूर्व भाग में, मैंने भी हमारे काश्तकारों को, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, शताब्दी के भीषणतम अकाल का सम्पूर्ण मनोबल के साथ मुकाबला किया है, कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। यहां पर, मैं इस मेहनतकश वर्ग के लिए प्रतीक स्वरूप ट्रैक्टर ट्रोली की कर दर 9.6 प्रतिशत (अधिभार सहित) से घटा कर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

187. गत वर्ष बजट भाषण में स्व-उत्पादित विद्युत ऊर्जा को प्रोत्साहन देने एवं ऊर्जा की मांग व आपूर्ति का अन्तर कम करने की दृष्टि से, स्व-उत्पादित ऊर्जा को विद्युत शुल्क से छूट दी गई थी। इसी क्रम को जारी रखते हुए, डीजल जनरेटिंग सैट्स के क्रय को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, मैं उनकी विक्रय कर दर को 6 प्रतिशत (अधिभार सहित) से घटा कर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

188. वर्तमान में सभी प्रकार के हौजरी उत्पाद, ऊन, सिंथेटिक ऊन या शुद्ध रेशम के उत्पादों को छोड़कर, 6 प्रतिशत की दर से (अधिभार सहित) कर योग्य हैं । इस कर दर को कम करने हेतु मुझे बहुत सारे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं । गत वर्षों में राज्य में हौजरी उद्योग उत्तरोत्तर पनपने लगा है । इनके उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने एवं आम उपभोक्ता को लाभ देने की दृष्टि से मैं इनकी कर दर को 6 प्रतिशत (अधिभार सहित) से घटाकर, 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं ।

189. जयपुर की रजाइयां बहुत प्रसिद्ध हैं और काफी संख्या में पर्यटकों द्वारा खरीदी भी जाती हैं। इनके विक्रय को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने तथा अन्य राज्यों में इनको लोकप्रिय किए जाने की दृष्टि से मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि रजाइयों पर निर्धारित कर की दर 9.6 प्रतिशत (अधिभार सहित) से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी जाये ।

190. बिस्कुट, मिठाई की गोलियां, टोफी, चाकलेट आदि, जिनका कि प्रयोग अधिकतर बच्चों द्वारा किया जाता है, की कर दर में कमी करने के बहुत से ज्ञापन मुझे प्राप्त हुए हैं। इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, मैं इन वस्तुओं पर कर दर 12 प्रतिशत (अधिभार सहित) से घटा कर 10 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव करता हूं–

191. टोर्च, शुष्क सैल्स, नहाने का साबुन, रेजर की पत्तियां एवं फोटोग्राफिक फिल्म्स आम उपभोक्ता सामग्री है तथा शनैः-शनैः यह आम आदमी की आवश्यकता की वस्तुएं बन गई हैं। इस वर्ग को कुछ राहत प्रदान करने की दृष्टि से, मैं इन वस्तुओं की कर दरें निम्न प्रकार घटाने का प्रस्ताव करता हूं :—

1. टोर्च एवं शुष्क सैल्स	12% (सरचार्ज सहित) से 8%
2. नहाने का साबुन	12% (सरचार्ज सहित) से 10%
3. रेजर की पत्तियां	12% (सरचार्ज सहित) से 10%
4. फोटोग्राफिक फिल्में	14.4% (सरचार्ज सहित) से 12%

192. मोजाइक टाइल्स, जो बीकानेर क्षेत्र में बहुतायत में विनिर्मित की जाती हैं, तथा जिसका निर्माण मूलतः श्रम प्रधान है, पर कर-दर 14.4 प्रतिशत (अधिभार सहित) है। कर-दर में भिन्नता के कारण हमारे राज्य में विनिर्मित मोजाइक टाइल्स को पड़ौसी राज्यों में निर्मित मोजाइक टाइल्स से कठोर स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यह उद्योग इस स्पर्धा में टिका रहे, पनप सके तथा आम उपभोक्ता को इसका लाभ मिल सके इस दृष्टि से मोजाइक टाइल्स की कर-दर 14.4 प्रतिशत (अधिभार सहित) से घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने का, मैं प्रस्ताव रखता हूं।

193. वर्तमान में सीमेंट से बनी वस्तुएं, जिनमें पाइप तथा पाइप फिटिंग सम्मिलित हैं, पर कर की दर अधिभार के साथ 15.6 प्रतिशत है। यह श्रम प्रधान उद्योग है और चूंकि इसके उत्पादों का प्रयोग अधिकतर कम आय के वर्गों द्वारा किया जाता है, अतः मैं इनकी कर-दर 15.6 प्रतिशत (अधिभार सहित) से घटाकर 12 प्रतिशत निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

194. जयपुर, रत्न व बहुमुल्य प्रस्तर उद्योग के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में देश में उभर रहा है तथा इसका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इस उद्योग की समय-समय पर मांग रही है कि इस पर वर्तमान बहुल बिन्दु कर को हटाकर एकल एवं प्रथम बिन्दु कर लगाया जाये। अतः मैं रत्न एवं प्रस्तर (जरड़ सहित) चाहे मूल्यवान अथवा अर्द्धमूल्यवान एव मोती (कलचर्ड अथवा सच्चे) पर बहुल बिन्दु 3 प्रतिशत (अधिभार सहित 3.6 प्रतिशत) कर समाप्त कर प्रथम बिन्दु 5 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि रत्न एवं प्रस्तर उद्योग इस कदम का व्यापक रूप से स्वागत करेगा।

195. रत्न व प्रस्तर ही एक मात्र ऐसी वस्तु थी, जो राज्य में अब तक प्रथम बिन्दु से भिन्न बिन्दु पर कर योग्य थी। प्रथम बिन्दु के इस परिवर्तन के साथ राजस्थान राज्य देश के मात्र कुछ राज्यों में से होगा जहां पर समस्त वस्तुओं पर सारा कर भार प्रथम बिन्दु पर कर दिया गया है। यह कर प्रणाली कर संग्रहण की एक सरल एवं अधिक दक्ष प्रणाली मानी गयी है तथा राजस्थान राज्य इस दिशा में अग्रणी है।

196. गत वर्ष बजट भाषण में निम्न पदार्थों की, उनके अन्तर्राज्यिक विक्रय को बढ़ावा देने की दृष्टि से, केन्द्रीय विक्रय कर दर घटाई गई थी लेकिन उन्हें एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 1988 तक के लिए ही घटाया गया था। उस समय यह कहा गया था कि कालावधि में वृद्धि किए जाने के पूर्व कर दर घटाये जाने के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। मुझे यह घोषणा

करते हुए हर्ष होता है कि दर घटाने से इन पदार्थों के केन्द्रीय विक्रय कर की आय में वृद्धि हुई है। अतः मैं इन पदार्थों की घटाई हुई कर दर को अनिश्चित कालावधि के लिए लागू रखे जाने का प्रस्ताव रखता हूं :—

क्रम संख्या पदार्थ का नाम	कर दर	
	पूर्व दर	प्रस्तावित-दर
1. हौजरी एवं सिले हुए वस्त्र	4%	2%
2. छतरियां और उनके अतिरिक्त पुर्जे एवं उप साधन	4%	1%
3. साईकिल के अतिरिक्त पुर्जे एवं उपसाधन	4%	1%
4. पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न एवं नाईलोन फिलामेन्ट यार्न	3%	1.5%
5. जूतियां (देशी जोड़े)	4%	2%

197. बेरोजगार युवकों, ग्रामीण दस्तकारों तथा अन्य गरीब तबकों, जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना अथवा अन्य विकास योजनाओं के तहत कृषि भिन्न सैक्टर में बैंकों से ऋण लेते हैं, को राहत पहुंचाने की दृष्टि से, मैं 25,000/– रुपये तक के ऋणों के भुगतान के लिए जो आलेख तैयार किये जाते हैं, को स्टाम्प ड्यूटी से माफ करने का प्रस्ताव करता हूं।

198. मेरी सदैव यह मान्यता रही है कि हमारी वित्तीय नीति का प्रणयन राज्य के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। इस सन्दर्भ में, मैं यह महसूस करता हूं कि हमें अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित किए जाने के लिए प्रगतिशील नीति अपनानी चाहिए। यह तभी सम्भव है जब कि उपयुक्त फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किए जाने की नीति अपनाई जाए। इस प्रकार की नीति से न

केवल अच्छी फिल्मों के निर्माताओं को भविष्य में इस प्रकार की फिल्मों के निर्माण करने को प्रोत्साहन मिलेगा अपितु हजारों, लाखों लोगों को ऐसी फिल्मों का रसास्वादन करने एवं फिल्म के कथानक तथा संदेश को ग्रहण करने का मौका मिलेगा। इस दृष्टि से मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि उपयुक्त फिल्मों को। 1 अप्रेल, '88 से मनोरंजन कर में छूट देने की नीति तय कर दी जाये। प्रस्तावित नीति के प्रमुख अंग निम्न प्रकार हैं:—

1. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त समस्त फिल्में तथा ऐसा फिल्में जिन्हें सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन "बाल फिल्म" प्रमाणित करे, एक वर्ष तक मनोरंजन कर से शत प्रतिशत छूट की अधिकारी होगी।

2. ऐसी समस्त अच्छी राजस्थानी फिल्में, अर्थात् ऐसी फिल्में जिनका निर्माण राजस्थान के विभिन्न भागों में प्रयोग की जाने वाली बोलियों में किया गया हो, को 6 माह के लिए 75 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर से मुक्त किया जायेगा।

3. अन्य ऐसी उत्कृष्ट फिल्में, जिनके कथानक स्वाधीनता आंदोलन राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भाव, समाज-सुधार आदि पर आधारित हों, के अधिक से अधिक 5 प्रिन्टों को तीन माह की अवधि के लिए 25 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर से मुक्त किया जायेगा।

द्वितीय और तृतीय कोटि की फिल्मों का "प्रीव्यू" इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के द्वारा किया जाएगा ताकि यह समिति इस बात का विनिश्चय कर सके कि क्या उक्त फिल्म कर मुक्ति के उपयुक्त है तथा उसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं है।

199. मैं आशा करता हूं कि सांस्कृतिक दृष्टि से जागरूक तबकों द्वारा इस नीति का खुले हृदय से स्वागत किया जायेगा।

200. बिक्रीकर की दरों को युक्तिसंगत बनाने तथा अन्य उपायों के कारण पूर्ण वर्ष में अनुमानतः 11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी । विभिन्न रियायतों के कारण होने वाली राजस्व कमी का समायोजन करते हुए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी । इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1988-89 में 252.04 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है । वर्तमान में, मैं इस घाटे को अपूरित छोडना प्रस्तावित करता हूं । यह प्रयास किया जायेगा कि यह घाटा कुछ सीमा तक आने वाले वर्ष के दौरान कर तथा बकाया रकम की बेहतर वसूली, केन्द्र से अधिक प्राप्तियां, अनावश्यक और अनुत्पादक खर्च में कमी आदि करके, पूरा किया जाये । इसके साथ-साथ वित्तीय अनुशासन को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ किया जायेगा और राजकीय व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखा जायेगा ।

201. इस बजट के माध्यम से मैंने कुल संसाधनों की सीमाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, सिंचाई के अधिकाधिक साधन उपलब्ध कराने, विद्युत् उत्पादन बढ़ाने, पेयजल की समस्या का यथासम्भव निराकरण करने, ग्रामीण विकास विशेषतौर पर समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान करने, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने, समाज में महिलाओं विशेष तौर से विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के आर्थिक उत्थान करने, रोजगार के सृजन के साथ-साथ स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण कराने तथा मानव संसाधनों जैसे शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि को विकसित करने का प्रयास किया है ।

202. यद्यपि हम कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं और शताब्दी के भीषणतम अकाल से हम जूझ रहे हैं, किन्तु हमारा यह संकल्प है कि हम इनका

मुकाबला दृढ़ता से करेंगे और हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश का द्रुतगति से हर क्षेत्र में विकास करेंगे । विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ने, प्रदेश के उत्थान के इस पुनीत कार्य में सभी का सहयोग वांछनीय है ।

203. मैं यह कामना करता हूं कि इन्द्र देवता हम पर प्रसन्न हो एवं आगामी वर्ष समुचित वर्षा हो और इस प्रदेश पर से अकाल की छाया समाप्त हो जाय जिससे प्रदेश की जनता राहत की सांस ले सके । मैं राजस्थान के उज्जवल भविष्य व समृद्धि की कामना में आपको भागीदार बनाते हुए वर्ष 1988-89 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

जय हिन्द !